



सूचना विवरण पुस्तिका
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल-5
(भाग-iii)

निदेशालय
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून ।

वेब साइट-www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक : लेखा-स्था0 / २४२२ / सू0अ0 / 2019-20 दिनांक : २० मई, 2019


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
(सूचना अनुभाग)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

निदेशालय के पत्रांक : सू0अ0/99-101/ मैनुअल/2019-20 दिनांक - 14.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आर0टी0आई0 मैनुअल्स को अपडेट किये जाने हेतु अनुभागों से सम्बन्धित दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि की वांछित सूचनायें चाही गई है।

अतः उक्त के अनुपालन में, लेखा-स्थापना अनुभाग से सम्बन्धित वांछित सूचनायें संलग्न कर आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, तदनुसार आर0टी0आई0 मैनुअल्स को अद्यतन अपडेट करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
(लेखा-स्थापना अनुभाग)
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
20.05.19

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवामें,

आहरण वितरण अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ननूरखेड़ा, तपोवन रोड़, देहरादून

पत्रांक: ले०स्था० / 13195-202 / भवन निर्माण / 2018-19 दिनांक 20 सितम्बर, 2018
विषय: प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय भवन निर्माण के लिये प्राविधानित धनराशि को निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक, शासनादेश संख्या: 730/XXIV/2012-3/2016 टी०सी० बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून दिनांक 27.08.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू० 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। स्वीकृत धनराशि रू० 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2-वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमेन्ट आई०डी० के अन्तर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है जिसकी अलाटमेन्ट आई०डी० संलग्न की जा रही है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान सं०-11 पूंजीगत के अधीन लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा, 201-प्रारम्भिक शिक्षा, 05-प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण -प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

संलग्न- अलाटमेन्ट आई०डी०

भवदीय,


(अमिता जोशी),
वित्त नियंत्रक,

पृ०सं० / नियोजन(04) / (लेखा स्थापना
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2018-19 दिनांकित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कोलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक (नवसृजित) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून
5. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान।
6. सूचना प्रकोष्ठ, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय।
7. गार्ड फाइल।

(अमिता जोशी)
वित्त नियंत्रक,

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Director Elementary Education (4514)

आवंटन पत्र संख्या - -

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - H1809111046

आवंटन पत्र दिनांक -19-Sep-2018


DDO Name - Director Elementary Education (4514) . Treasury - Cyber (1200)

1: लेखा शीर्षक	4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिस्वय 201 - प्रारम्भिक शिक्षा 05 - प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण 00 - प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण	01 - सामान्य शिक्षा
----------------	---	---------------------

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted	
			योग	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	5000000	5000000	
	0	5000000	5000000	

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

5000000


वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

DDO :Director Elementry Education(12004514)

Financial Year :20182019

Scheme: 2071011150302 Object: 01						
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	A20710041	25-May-2018	0	370000	-370000	Salary
Total :			0	370000	-370000	
Scheme: 2071011150302 Object: 03						
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	A20710041	25-May-2018	0	18500	-18500	Salary
Total :			0	18500	-18500	
Scheme: 2202010010300 Object: 01						
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	A22020004	06-Apr-2018	0	2636910	-2636910	Salary
2	A22020014	26-Apr-2018	0	2668810	-5305720	Salary
3	H1805110224	02-May-2018	14145000	0	8839280	Budget
4	A22020005	19-May-2018	0	22445	8816835	Salary
5	A22020009	22-May-2018	0	1058	8815777	Salary
6	A22020008	22-May-2018	0	420	8815357	Salary
7	A22020006	22-May-2018	0	1310	8814047	Salary
8	A22020007	22-May-2018	0	1851	8812196	Salary
9	A22020011	26-May-2018	0	22600	8789596	Salary
10	A22020021	30-May-2018	0	2781210	6008386	Salary
11	A22020003	13-Jun-2018	0	3613	6004773	Salary
12	A22020002	13-Jun-2018	0	97300	5907473	Salary
13	A22020004	13-Jun-2018	0	53832	5853641	Salary
14	A22020009	29-Jun-2018	0	2618570	3235071	Salary
15	A22020014	29-Jun-2018	0	776900	2458171	Salary
16	H1807110688	16-Jul-2018	20855000	0	23313171	Budget
17	A22020004	20-Jul-2018	0	161216	23151955	Salary
18	A22020011	30-Jul-2018	0	2618474	20533481	Salary
19	A22020002	06-Aug-2018	0	13816	20519665	Salary
20	A22020001	06-Aug-2018	0	10000	20509665	Salary
21	A22020011	21-Aug-2018	0	22477	20487188	Salary
22	A22020020	31-Aug-2018	0	2702370	17784818	Salary
23	A22020003	12-Sep-2018	0	650961	17133857	Salary
24	A22020007	22-Sep-2018	0	29300	17104557	Salary
25	A22020012	28-Sep-2018	0	2757830	14346727	Salary
26	A22020007	09-Oct-2018	0	316459	14030268	Salary
27	A22020006	09-Oct-2018	0	2329	14027939	Salary
28	A22020013	30-Oct-2018	0	2728530	11299409	Salary
29	A22020012	05-Nov-2018	0	252142	11047267	Salary
30	A22020020	29-Nov-2018	0	2757830	8289437	Salary
31	A22020007	14-Dec-2018	0	1536	8287901	Salary
32	A22020009	22-Dec-2018	0	49500	8238401	Salary
33	A22020010	22-Dec-2018	0	32312	8206089	Salary
34	A22020014	22-Dec-2018	0	900	8205189	Salary
35	A22020013	22-Dec-2018	0	28320	8176869	Salary
36	A22020012	22-Dec-2018	0	41862	8135007	Salary
37	A22020011	22-Dec-2018	0	34230	8100777	Salary
38	A22020021	29-Dec-2018	0	2749430	5351347	Salary

39	A22020006	18-Jan-2019	0	29300	5322047	Salary
40	H1901112502	30-Jan-2019	6200000	0	11522047	Budget
41	A22020012	11-Feb-2019	0	2635460	8886587	Salary
42	A22020019	18-Feb-2019	0	1676528	7210059	Salary
43	A22020023	21-Feb-2019	0	348496	6861563	Salary
44	A22020028	27-Feb-2019	0	73065	6788498	Salary
45	A22020032	28-Feb-2019	0	2741000	4047498	Salary
46	A22020007	06-Mar-2019	0	104163	3943335	Salary
47	A22020008	06-Mar-2019	0	7430	3935905	Salary
48	A22020028	18-Mar-2019	0	130732	3805173	Salary
49	A22020031	18-Mar-2019	0	55920	3749253	Salary
50	A22020032	18-Mar-2019	0	46027	3703226	Salary
51	A22020029	18-Mar-2019	0	100200	3603026	Salary
52	A22020036	22-Mar-2019	0	75450	3527576	Salary
53	A22020035	22-Mar-2019	0	65820	3461756	Salary
54	A22020046	23-Mar-2019	0	75246	3386510	Salary
55	A22020048	23-Mar-2019	0	73737	3312773	Salary
56	HS190306630	31-Mar-2019	-3312773	0	0	Budget
Total :			37887227	37887227	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 02

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	17000	0	17000	Budget
2	B22020066	17-Jul-2018	0	4800	12200	TP1200451407180013
3	B22020015	06-Aug-2018	0	3000	9200	TP1200451408180021
4	B22020103	21-Aug-2018	0	6000	3200	TP1200451408180022
5	H1809110837	14-Sep-2018	33000	0	36200	Budget
6	B22020131	21-Feb-2019	0	8000	28200	OP1200451402190003
7	HS190306630	31-Mar-2019	-28200	0	0	Budget
Total :			21800	21800	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 03

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	A22020004	06-Apr-2018	0	131585	-131585	Salary
2	A22020014	26-Apr-2018	0	133180	-264765	Salary
3	H1805110224	02-May-2018	528000	0	263235	Budget
4	A22020005	19-May-2018	0	1122	262113	Salary
5	A22020008	22-May-2018	0	21	262092	Salary
6	A22020009	22-May-2018	0	53	262039	Salary
7	A22020007	22-May-2018	0	93	261946	Salary
8	A22020006	22-May-2018	0	66	261880	Salary
9	A22020011	26-May-2018	0	32092	229788	Salary
10	A22020021	30-May-2018	0	406305	-176517	Salary
11	A22020002	13-Jun-2018	0	6811	-183328	Salary
12	A22020003	13-Jun-2018	0	181	-183509	Salary
13	A22020009	29-Jun-2018	0	182980	-366489	Salary
14	A22020014	29-Jun-2018	0	47837	-414326	Salary
15	H1807110688	16-Jul-2018	2441000	0	2026674	Budget
16	A22020011	30-Jul-2018	0	184002	1842672	Salary
17	A22020001	06-Aug-2018	0	400	1842272	Salary
18	A22020020	31-Aug-2018	0	188846	1653426	Salary
19	A22020007	22-Sep-2018	0	2051	1651375	Salary
20	A22020012	28-Sep-2018	0	192675	1458700	Salary
21	A22020013	30-Oct-2018	0	408008	1050692	Salary

22	A22020020	29-Nov-2018	0	247725	802967	Salary
23	A22020007	14-Dec-2018	0	77	802890	Salary
24	A22020009	22-Dec-2018	0	2739	800151	Salary
25	A22020014	22-Dec-2018	0	63	800088	Salary
26	A22020021	29-Dec-2018	0	246969	553119	Salary
27	A22020006	18-Jan-2019	0	4377	548742	Salary
28	H1901112502	30-Jan-2019	1000000	0	1548742	Budget
29	A22020012	11-Feb-2019	0	236713	1312029	Salary
30	A22020028	27-Feb-2019	0	6575	1305454	Salary
31	A22020032	28-Feb-2019	0	247680	1057774	Salary
32	A22020008	06-Mar-2019	0	669	1057105	Salary
33	A22020029	18-Mar-2019	0	9018	1048087	Salary
34	A22020032	18-Mar-2019	0	4148	1043939	Salary
35	A22020048	23-Mar-2019	0	9768	1034171	Salary
36	HS190306630	31-Mar-2019	-1034171	0	0	Budget
Total :			2934829	2934829	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 04

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	67000	0	67000	Budget
2	B22020093	24-Jul-2018	0	10587 ✓	56413	CB1200451407180006
3	B22020032	06-Aug-2018	0	5037 ✓	51376	CB1200451407180003
4	B22020030	06-Aug-2018	0	1034 ✓	50342	CB1200451407180002
5	B22020013	05-Sep-2018	0	9369 ✓	40973	CB1200451408180004
6	B22020014	05-Sep-2018	0	640 ✓	40333	CB1200451408180003
7	B22020115	16-Oct-2018	0	7898 ✓	32435	CB1200451410180002
8	B22020030	05-Nov-2018	0	1328 ✓	31107	CB1200451411180002
9	B22020093	06-Dec-2018	0	3420 ✓	27687	CB1200451412180002
10	H1812110537	06-Dec-2018	133000	0	160687	Budget
11	B22020121	12-Dec-2018	0	8198 ✓	152489	CB1200451412180004
12	B22020120	12-Dec-2018	0	3845 ✓	148644	CB1200451412180003
13	B22020133	14-Dec-2018	0	3121 ✓	145523	CB1200451412180005
14	B22020107	19-Jan-2019	0	1648 ✓	143875	CB1200451401190001
15	HS190200303	20-Feb-2019	-50000	0	93875	Budget
16	B22020139	21-Feb-2019	0	1776 ✓	92099	CB1200451402190002
17	B22020128	18-Mar-2019	0	3080 ✓	89019	CB1200451403190002
18	B22020129	18-Mar-2019	0	11929 ✓	77090	CB1200451403190001
19	B22020244	25-Mar-2019	0	9604 ✓	67486	CB1200451403190009
20	B22020245	25-Mar-2019	0	16199 ✓	51287	CB1200451403190008
21	B22020258	25-Mar-2019	0	17317 ✓	33970	CB1200451403190006
22	B22020328	30-Mar-2019	0	1257 ✓	32713	CB1200451403190010
23	HS190306630	31-Mar-2019	-32713	0	0	Budget
Total :			117287	117287	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 05

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	50000	0	50000	Budget
2	B22020062	29-May-2018	0	19722	30278	CB1200451405180003
3	H1809110837	14-Sep-2018	25000	0	55278	Budget
4	B22020071	09-Oct-2018	0	21848	33430	CB1200451409180002
5	B22020116	16-Oct-2018	0	9900	23530	CB1200451410180003
6	B22020091	16-Nov-2018	0	1160	22370	CB1200451410180005
7	B22020164	18-Mar-2019	0	15665	6705	CB1200451403190005
8	HS190306630	31-Mar-2019	-6705	0	0	Budget

Total : 68295 68295 0

Scheme: 2202010010300 Object: 06

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	A22020004	06-Apr-2018	0	173965	-173965	Salary
2	A22020014	26-Apr-2018	0	176345	-350310	Salary
3	H1805110224	02-May-2018	696000	0	345690	Budget
4	A22020005	19-May-2018	0	1401	344289	Salary
5	A22020008	22-May-2018	0	353	343936	Salary
6	A22020009	22-May-2018	0	565	343371	Salary
7	A22020007	22-May-2018	0	230	343141	Salary
8	A22020006	22-May-2018	0	230	342911	Salary
9	A22020011	26-May-2018	0	4760	338151	Salary
10	A22020021	30-May-2018	0	184385	153766	Salary
11	A22020004	13-Jun-2018	0	1573	152193	Salary
12	A22020003	13-Jun-2018	0	317	151876	Salary
13	A22020014	29-Jun-2018	0	43680	108196	Salary
14	A22020009	29-Jun-2018	0	166475	-58279	Salary
15	H1807110688	16-Jul-2018	2607000	0	2548721	Budget
16	A22020011	30-Jul-2018	0	164775	2383946	Salary
17	A22020020	31-Aug-2018	0	170725	2213221	Salary
18	A22020007	22-Sep-2018	0	1700	2211521	Salary
19	A22020012	28-Sep-2018	0	175495	2036026	Salary
20	A22020013	30-Oct-2018	0	173795	1862231	Salary
21	A22020020	29-Nov-2018	0	175495	1686736	Salary
22	A22020007	14-Dec-2018	0	3605	1683131	Salary
23	A22020009	22-Dec-2018	0	12920	1670211	Salary
24	A22020021	29-Dec-2018	0	175495	1494716	Salary
25	A22020006	18-Jan-2019	0	1700	1493016	Salary
26	A22020012	11-Feb-2019	0	164484	1328532	Salary
27	A22020028	27-Feb-2019	0	6250	1322282	Salary
28	A22020032	28-Feb-2019	0	273120	1049162	Salary
29	A22020008	06-Mar-2019	0	1575	1047587	Salary
30	A22020032	18-Mar-2019	0	3014	1044573	Salary
31	HS190306630	31-Mar-2019	-1044573	0	0	Budget
Total :			2258427	2258427	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 07

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1812110537	06-Dec-2018	50000	0	50000	Budget
2	A22020030	18-Mar-2019	0	25500	24500	Salary
3	A22020047	23-Mar-2019	0	2250	22250	Salary
4	HS190306630	31-Mar-2019	-22250	0	0	Budget
Total :			27750	27750	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 08

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	100000	0	100000	Budget
2	B22020012	16-May-2018	0	25000 /	75000	DD1200451405180001
3	B22020012	04-Jun-2018	0	300 /	74700	OP1200451406180001
4	B22020009	04-Jun-2018	0	9521 /	65179	OP1200451405180001
5	B22020058	17-Jul-2018	0	1765 /	63414	OP1200451407180002
6	B22020057	17-Jul-2018	0	3894 /	59520	TP1200451407180015
7	B22020115	21-Aug-2018	0	1416 /	58104	TP1200451408180030
8	B22020110	21-Aug-2018	0	25000 /	33104	DD1200451408180005

9	B22020100	21-Aug-2018	0	4165	28939	OP1200451407180006
10	B22020112	21-Aug-2018	0	3372	25567	OP1200451408180003
11	H1809110837	14-Sep-2018	100000	0	125567	Budget
12	B22020047	19-Sep-2018	0	450	125117	OP1200451409180002
13	B22020072	09-Oct-2018	0	3009	122108	TP1200451409180039
14	B22020070	09-Oct-2018	0	300	121808	OP1200451409180003
15	B22020119	16-Oct-2018	0	800	121008	OP1200451410180002
16	B22020117	16-Oct-2018	0	280	120728	OP1200451410180001
17	B22020057	16-Nov-2018	0	2600	118128	OP1200451410180003
18	B22020061	16-Nov-2018	0	5139	112989	TP1200451410180064
19	B22020091	06-Dec-2018	0	1300	111689	OP1200451412180001
20	B22020065	06-Dec-2018	0	13179	98510	TP1200451412180097
21	B22020068	06-Dec-2018	0	449	98061	TP1200451412180100
22	B22020069	06-Dec-2018	0	12339	85722	TP1200451412180101
23	B22020070	06-Dec-2018	0	5505	80217	TP1200451412180102
24	H1812110537	06-Dec-2018	100000	0	180217	Budget
25	B22020156	18-Dec-2018	0	1652	178565	TP1200451412180123
26	B22020067	15-Jan-2019	0	25000	153565	DD1200451401190008
27	B22020130	21-Feb-2019	0	320	153245	OP1200451402190002
28	B22020025	06-Mar-2019	0	700	152545	OP1200451403190001
29	B22020038	08-Mar-2019	0	5874	146671	TP1200451403190188
30	B22020040	08-Mar-2019	0	2478	144193	TP1200451403190186
31	B22020039	08-Mar-2019	0	300	143893	OP1200451403190003
32	B22020063	12-Mar-2019	0	5736	138157	TP1200451403190200
33	B22020171	18-Mar-2019	0	53440	84717	TP1200451403190213
34	B22020169	18-Mar-2019	0	18952	65765	TP1200451403190215
35	B22020170	18-Mar-2019	0	2695	63070	TP1200451403190214
36	B22020260	25-Mar-2019	0	24315	38755	TP1200451403190220
37	B22020272	25-Mar-2019	0	4300	34455	OP1200451403190007
38	B22020273	25-Mar-2019	0	27299	7156	TP1200451403190221
39	B22020315	29-Mar-2019	0	2060	5096	OP1200451403190011
40	HS190306630	31-Mar-2019	-5096	0	0	Budget

Total : 294904 294904 0

Scheme: 2202010010300 Object: 09

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1812110537	06-Dec-2018	200000	0	200000	Budget
2	HS190200303	20-Feb-2019	-200000	0	0	Budget
Total :			0	0	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 10

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1812110537	06-Dec-2018	40000	0	40000	Budget
2	HS190306630	31-Mar-2019	-40000	0	0	Budget
Total :			0	0	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 11

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	67000	0	67000	Budget
2	H1810110155	05-Oct-2018	65000	0	132000	Budget
3	B22020090	06-Dec-2018	0	1888	130112	TP1200451412180122
4	B22020066	06-Dec-2018	0	37680	92432	TP1200451412180098
5	B22020067	06-Dec-2018	0	26769	65663	TP1200451412180099
6	H1812110537	06-Dec-2018	68000	0	133663	Budget
7	B22020064	12-Mar-2019	0	72209	61454	TP1200451403190199

8	B22020259	25-Mar-2019	0	27266	34188	TP1200451403190219
9	HS190306630	31-Mar-2019	-34188	0	0	Budget
Total :			165812	165812	0	

Scheme: 2202010010300 **Object:** 12

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	67000	0	67000	Budget
2	H1809110837	14-Sep-2018	83000	0	150000	Budget
3	H1812110537	06-Dec-2018	50000	0	200000	Budget
4	B22020174	19-Mar-2019	0	196470	3530	TP1200451403190187
5	HS190306630	31-Mar-2019	-3530	0	0	Budget
Total :			196470	196470	0	

Scheme: 2202010010300 **Object:** 13

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	50000	0	50000	Budget
2	B22020014	17-May-2018	0	1938	48062	CB1200451405180001
3	B22020015	17-May-2018	0	2355	45707	UP1200451405180001
4	B22020092	24-Jul-2018	0	1416	44291	CB1200451407180005
5	B22020108	21-Aug-2018	0	3563	40728	CB1200451408180002
6	B22020011	05-Sep-2018	0	710	40018	CB1200451408180005
7	B22020012	05-Sep-2018	0	1764	38254	UP1200451408180002
8	B22020073	09-Oct-2018	0	1800	36454	UP1200451409180003
9	B22020058	16-Nov-2018	0	3184	33270	CB1200451410180006
10	H1812110537	06-Dec-2018	100000	0	133270	Budget
11	B22020130	14-Dec-2018	0	3563	129707	UP1200451412180004
12	B22020033	08-Feb-2019	0	1764	127943	CB1200451401190002
13	HS190200303	20-Feb-2019	-50000	0	77943	Budget
14	B22020153	27-Feb-2019	0	1765	76178	UP1200451402190005
15	B22020267	25-Mar-2019	0	1799	74379	UP1200451403190006
16	HS190306630	31-Mar-2019	-74379	0	0	Budget
Total :			25621	25621	0	

Scheme: 2202010010300 **Object:** 15

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	167000	0	167000	Budget
2	B22020114	21-Aug-2018	0	✓ 10982 ✓	156018	TP1200451408180029
3	B22020116	21-Aug-2018	0	✓ 16990 ✓	139028	TP1200451408180031
4	B22020113	21-Aug-2018	0	✓ 16413 ✓	122615	TP1200451408180028
5	B22020106	21-Aug-2018	0	✓ 42753 ✓	79862	TP1200451408180025
6	B22020102	21-Aug-2018	0	✓ 2600 ✓	77262	OP1200451407180001
7	B22020015	05-Sep-2018	0	✓ 48844 ✓	28418	TP1200451407180012
8	H1810110155	05-Oct-2018	80000	0	108418	Budget
9	B22020065	16-Nov-2018	0	✓ 13375 ✓	95043	TP1200451410180062
10	B22020062	16-Nov-2018	0	✓ 8173 ✓	86870	TP1200451410180065
11	B22020063	16-Nov-2018	0	✓ 12444 ✓	74426	TP1200451410180066
12	B22020064	16-Nov-2018	0	✓ 12559 ✓	61867	TP1200451410180061
13	B22020004	04-Dec-2018	0	✓ 18544 ✓	43323	TP1200451411180096
14	B22020005	04-Dec-2018	0	✓ 5856 ✓	37467	TP1200451411180094
15	B22020006	04-Dec-2018	0	✓ 2389 ✓	35078	TP1200451411180095
16	B22020007	04-Dec-2018	0	✓ 11414 ✓	23664	TP1200451411180093
17	B22020008	04-Dec-2018	0	✓ 17111 ✓	6553	TP1200451411180092
18	H1812110537	06-Dec-2018	253000	0	259553	Budget
19	B22020136	14-Dec-2018	0	✓ 17397 ✓	242156	TP1200451412180132
20	B22020135	14-Dec-2018	0	✓ 3500 ✓	238656	OP1200451412180004

21	B22020069	15-Jan-2019	0	✓ 13205 ✓	225451	TP1200451401190150
22	B22020071	15-Jan-2019	0	✓ 12758 ✓	212693	TP1200451401190151
23	B22020072	15-Jan-2019	0	✓ 9409 ✓	203284	TP1200451401190152
24	B22020140	21-Feb-2019	0	✓ 15989 ✓	187295	TP1200451402190182
25	B22020137	21-Feb-2019	0	✓ 1000 ✓	186295	OP1200451402190005
26	B22020136	21-Feb-2019	0	✓ 1000 ✓	185295	OP1200451402190004
27	B22020134	21-Feb-2019	0	✓ 13534 ✓	171761	TP1200451402190179
28	B22020135	21-Feb-2019	0	✓ 12095 ✓	159666	TP1200451402190180
29	B22020133	21-Feb-2019	0	✓ 8947 ✓	150719	TP1200451402190178
30	B22020065	12-Mar-2019	0	✓ 22847 ✓	127872	TP1200451403190198
31	B22020066	12-Mar-2019	0	✓ 12684 ✓	115188	TP1200451403190197
32	B22020263	25-Mar-2019	0	2000 ✓	113188	OP1200451403190008
33	B22020264	25-Mar-2019	0	15903 ✓	97285	TP1200451403190223
34	B22020265	25-Mar-2019	0	22319 ✓	74966	TP1200451403190224
35	B22020266	25-Mar-2019	0	12188 ✓	62778	TP1200451403190225
36	HS190306630	31-Mar-2019	-62778	0	0	Budget
Total :			437222	437222	0	

Schema: 2202010010300 Object: 16

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	367000	0	367000	Budget
2	B22020011	15-May-2018	0	37800 ✓	329200	TP1200451405180001
3	B22020047	25-May-2018	0	23200 ✓	306000	TP1200451405180002
4	B22020047	12-Jun-2018	0	33000 ✓	273000	DD1200451406180004
5	B22020048	12-Jun-2018	0	15000 ✓	258000	DD1200451406180002
6	B22020049	12-Jun-2018	0	25000 ✓	233000	DD1200451406180003
7	B22020070	14-Jun-2018	0	12400 ✓	220600	TP1200451406180007
8	B22020017	06-Jul-2018	0	8400 ✓	212200	TP1200451407180011
9	B22020064	17-Jul-2018	0	27000 ✓	185200	TP1200451407180014
10	B22020022	06-Aug-2018	0	33664 ✓	151536	TP1200451407180020
11	B22020029	06-Aug-2018	0	1400 ✓	150136	TP1200451407180017
12	B22020028	06-Aug-2018	0	1000 ✓	149136	OP1200451407180004
13	B22020111	21-Aug-2018	0	23831 ✓	125305	TP1200451408180027
14	B22020104	21-Aug-2018	0	27900 ✓	97405	TP1200451408180023
15	B22020048	19-Sep-2018	0	27900 ✓	69505	TP1200451409180036
16	H1810110155	05-Oct-2018	310000	0	379505	Budget
17	B22020061	09-Oct-2018	0	35274 ✓	344231	TP1200451410180045
18	B22020062	09-Oct-2018	0	27000 ✓	317231	TP1200451410180044
19	B22020064	09-Oct-2018	0	700 ✓	316531	TP1200451409180043
20	B22020065	09-Oct-2018	0	2800 ✓	313731	TP1200451409180042
21	B22020017	05-Nov-2018	0	37654 ✓	276077	TP1200451411180067
22	B22020070	16-Nov-2018	0	36090 ✓	239987	TP1200451411180069
23	B22020069	16-Nov-2018	0	37228 ✓	202759	TP1200451411180068
24	B22020068	16-Nov-2018	0	13950 ✓	188809	OP1200451411180002
25	B22020066	16-Nov-2018	0	13950 ✓	174859	OP1200451411180001
26	B22020056	16-Nov-2018	0	1460 ✓	173399	TP1200451410180051
27	H1812110537	06-Dec-2018	423000	0	596399	Budget
28	B22020119	12-Dec-2018	0	27000 ✓	569399	OP1200451412180003
29	B22020152	14-Dec-2018	0	1920 ✓	567479	OP1200451412180005
30	B22020151	14-Dec-2018	0	5400 ✓	562079	DD1200451412180006
31	B22020150	14-Dec-2018	0	43447 ✓	518632	TP1200451412180136
32	B22020149	14-Dec-2018	0	46634 ✓	471998	TP1200451412180138
33	B22020148	14-Dec-2018	0	42721 ✓	429277	TP1200451412180137
34	B22020147	14-Dec-2018	0	400 ✓	428877	DD1200451412180007

35	B22020132	14-Dec-2018	0	44722 ✓	384155	TP1200451412180129
36	B22020153	18-Dec-2018	0	49363 ✓	334792	TP1200451412180128
37	B22020154	18-Dec-2018	0	54079 ✓	280713	TP1200451412180127
38	B22020155	18-Dec-2018	0	2660 ✓	278053	TP1200451412180124
39	B22020165	22-Dec-2018	0	85311 ✓	192742	TP1200451412180133
40	B22020011	07-Jan-2019	0	27900 ✓	164842	OP1200451401190001
41	B22020068	15-Jan-2019	0	912 ✓	163930	OP1200451401190002
42	B22020086	15-Feb-2019	0	27900 ✓	136030	OP1200451402190001
43	B22020084	15-Feb-2019	0	870 ✓	135160	DD1200451402190009
44	B22020082	15-Feb-2019	0	2303 ✓	132857	TP1200451402190166
45	B22020023	06-Mar-2019	0	36458 ✓	96399	TP1200451403190183
46	B22020024	06-Mar-2019	0	35682 ✓	60717	TP1200451403190184
47	B22020041	08-Mar-2019	0	25200 ✓	35517	OP1200451403190002
48	B22020186	23-Mar-2019	0	35479	38	TP1200451403190231
49	HS190306630	31-Mar-2019	-38	0	0	Budget

Total : 1099962 1099962 0

Scheme: 2202010010300 Object: 18

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	33000	0	33000	Budget
2	H1812110537	06-Dec-2018	67000	0	100000	Budget
3	HS190306630	31-Mar-2019	-100000	0	0	Budget
Total :			0	0	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 19

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	167000	0	167000	Budget
2	H1809110837	14-Sep-2018	133000	0	300000	Budget
3	B22020027	04-Dec-2018	0	6904	293096	TP1200451411180076
4	B22020026	04-Dec-2018	0	5147	287949	TP1200451411180077
5	B22020029	04-Dec-2018	0	35206	252743	TP1200451411180074
6	B22020009	04-Dec-2018	0	1133	251610	TP1200451411180090
7	B22020010	04-Dec-2018	0	849	250761	TP1200451411180089
8	B22020011	04-Dec-2018	0	2031	248730	TP1200451411180088
9	B22020012	04-Dec-2018	0	2422	246308	TP1200451411180087
10	B22020017	04-Dec-2018	0	2019	244289	TP1200451411180086
11	B22020018	04-Dec-2018	0	2707	241582	TP1200451411180085
12	B22020019	04-Dec-2018	0	2707	238875	TP1200451411180084
13	B22020020	04-Dec-2018	0	3249	235626	TP1200451411180083
14	B22020021	04-Dec-2018	0	4060	231566	TP1200451411180082
15	B22020022	04-Dec-2018	0	9577	221989	TP1200451411180081
16	B22020023	04-Dec-2018	0	21861	200128	TP1200451411180080
17	B22020024	04-Dec-2018	0	5147	194981	TP1200451411180079
18	B22020025	04-Dec-2018	0	11089	183892	TP1200451411180078
19	B22020028	04-Dec-2018	0	23155	160737	TP1200451411180075
20	B22020087	06-Dec-2018	0	2116	158621	TP1200451412180119
21	B22020088	06-Dec-2018	0	4103	154518	TP1200451412180120
22	B22020089	06-Dec-2018	0	2020	152498	TP1200451412180121
23	B22020073	06-Dec-2018	0	12860	139638	TP1200451412180105
24	B22020074	06-Dec-2018	0	8573	131065	TP1200451412180107
25	H1812110537	06-Dec-2018	200000	0	331065	Budget
26	B22020075	06-Dec-2018	0	10288	320777	TP1200451412180106
27	B22020076	06-Dec-2018	0	17629	303148	TP1200451412180108
28	B22020077	06-Dec-2018	0	12592	290556	TP1200451412180109

29	B22020078	06-Dec-2018	0	6296	284260	TP1200451412180110
30	B22020079	06-Dec-2018	0	6716	277544	TP1200451412180111
31	B22020080	06-Dec-2018	0	8395	269149	TP1200451412180112
32	B22020081	06-Dec-2018	0	7421	261728	TP1200451412180113
33	B22020082	06-Dec-2018	0	6185	255543	TP1200451412180114
34	B22020083	06-Dec-2018	0	5006	250537	TP1200451412180115
35	B22020084	06-Dec-2018	0	6258	244279	TP1200451412180116
36	B22020085	06-Dec-2018	0	9696	234583	TP1200451412180117
37	B22020086	06-Dec-2018	0	9143	225440	TP1200451412180118
38	B22020128	14-Dec-2018	0	3028	222412	TP1200451412180134
39	B22020070	15-Jan-2019	0	142862	79550	TP1200451401190149
40	B22020040	08-Feb-2019	0	10716	68834	TP1200451402190159
41	B22020039	08-Feb-2019	0	8659	60175	TP1200451402190158
42	B22020038	08-Feb-2019	0	2775	57400	TP1200451401190157
43	B22020037	08-Feb-2019	0	3722	53678	TP1200451401190156
44	B22020036	08-Feb-2019	0	3384	50294	TP1200451401190154
45	B22020035	08-Feb-2019	0	2523	47771	TP1200451401190155
46	B22020167	18-Mar-2019	0	7731	40040	TP1200451403190209
47	HS190306630	31-Mar-2019	-40040	0	0	Budget
Total :			459960	459960	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 22

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	17000	0	17000	Budget
2	H1807110688	16-Jul-2018	33000	0	50000	Budget
3	B22020080	20-Jul-2018	0	✓ 4774	45226	OP1200451407180005
4	B22020031	06-Aug-2018	0	✓ 3355	41871	OP1200451407180003
5	B22020109	21-Aug-2018	0	✓ 6152	35719	TP1200451408180026
6	B22020107	21-Aug-2018	0	✓ 1490	34229	OP1200451408180002
7	B22020069	09-Oct-2018	0	✓ 2240	31989	OP1200451409180004
8	B22020066	09-Oct-2018	0	✓ 390	31599	OP1200451409180005
9	B22020067	09-Oct-2018	0	✓ 7103	24496	TP1200451409180041
10	B22020068	09-Oct-2018	0	✓ 1470	23026	TP1200451409180040
11	B22020092	06-Dec-2018	0	✓ 610	22416	OP1200451412180002
12	B22020034	08-Feb-2019	0	✓ 1058	21358	OP1200451401190003
13	B22020138	21-Feb-2019	0	✓ 9859	11499	TP1200451402190181
14	B22020141	21-Feb-2019	0	✓ 1322	10177	OP1200451402190006
15	B22020075	12-Mar-2019	0	✓ 1452	8725	OP1200451403190005
16	B22020165	18-Mar-2019	0	420	8305	OP1200451403190006
17	B22020270	25-Mar-2019	0	3143 ✓	5162	OP1200451403190010
18	HS190306630	31-Mar-2019	-5162	0	0	Budget
Total :			44838	44838	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 26

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	67000	0	67000	Budget
2	B22020060	17-Jul-2018	0	6700	60300	TP1200451407180016
3	B22020105	21-Aug-2018	0	17316	42984	TP1200451408180024
4	H1812110537	06-Dec-2018	133000	0	175984	Budget
5	HS190306630	31-Mar-2019	-175984	0	0	Budget
Total :			24016	24016	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 27

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	167000	0	167000	Budget

2	B22020013	17-May-2018	0	32136 ✓	134864 ✓	CB1200451405180002
3	B22020063	30-May-2018	0	3659 ✓	131205 ✓	CB1200451405180004
4	B22020016	06-Jul-2018	0	13073 ✓	118132 ✓	CB1200451407180001
5	B22020101	21-Aug-2018	0	4600 ✓	113532 ✓	CB1200451407180004
6	B22020010	05-Sep-2018	0	5346 ✓	108186 ✓	CB1200451408180006
7	B22020051	22-Sep-2018	0	1772 ✓	106414 ✓	CB1200451409180003
8	B22020060	09-Oct-2018	0	4950 ✓	101464 ✓	CB1200451410180001
9	B22020063	09-Oct-2018	0	50931 ✓	50533 ✓	CB1200451409180004
10	B22020120	16-Oct-2018	0	6780 ✓	43753 ✓	CB1200451410180004
11	B22020067	16-Nov-2018	0	21500 ✓	22253 ✓	CB1200451411180003
12	B22020094	06-Dec-2018	0	18485 ✓	3768 ✓	CB1200451412180001
13	H1812110537	06-Dec-2018	333000	0	336768	Budget
14	B22020126	14-Dec-2018	0	21728 ✓	315040	CB1200451412180007
15	B22020125	14-Dec-2018	0	3070 ✓	311970	CB1200451412180006
16	B22020127	14-Dec-2018	0	53762 ✓	258208	CB1200451412180008
17	B22020081	15-Feb-2019	0	26236 ✓	231972 ✓	CB1200451402190001
18	B22020035	08-Mar-2019	0	8053 ✓	223919 ✓	CB1200451402190003
19	B22020126	18-Mar-2019	0	x 45002 ✓	178917	CB1200451403190004
20	B22020163	18-Mar-2019	0	69757 ✓	109160	CB1200451403190003
21	B22020294	28-Mar-2019	0	29279 ✓	79881	CB1200451403190011
22	B22020330	30-Mar-2019	0	x 4411 ✓	75470	CB1200451403190012
23	HS190306630	31-Mar-2019	-50198	0	25272	Budget
24	B22020339	31-Mar-2019	0	25272 ✓	0	CB1200451403190013
Total :			449802	449802	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 29

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	33000	0	33000	Budget
2	B22020010	04-Jun-2018	0	10500	22500	TP1200451406180005
3	B22020008	04-Jun-2018	0	1000	21500	TP1200451405180004
4	B22020091	24-Jul-2018	0	4248	17252	TP1200451407180019
5	B22020027	06-Aug-2018	0	3880	13372	TP1200451407180018
6	H1809110837	14-Sep-2018	37000	0	50372	Budget
7	B22020006	03-Nov-2018	0	6322	44050	TP1200451410180057
8	B22020007	03-Nov-2018	0	6322	37728	TP1200451410180056
9	B22020059	16-Nov-2018	0	30975	6753	TP1200451410180054
10	H1812110537	06-Dec-2018	30000	0	36753	Budget
11	B22020134	14-Dec-2018	0	14707	22046	TP1200451412180131
12	B22020080	15-Feb-2019	0	3500	18546	TP1200451402190167
13	HS190306630	31-Mar-2019	-18546	0	0	Budget
Total :			81454	81454	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 42

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1902111165	14-Feb-2019	300000	0	300000	Budget
2	B22020080	12-Mar-2019	0	20000 ✓	280000	TP1200451403190206
3	B22020070	12-Mar-2019	0	9598 ✓	270402	TP1200451403190193
4	B22020071	12-Mar-2019	0	38000 ✓	232402	TP1200451403190192
5	B22020073	12-Mar-2019	0	4680 ✓	227722	OP1200451403190004
6	B22020077	12-Mar-2019	0	1400 ✓	226322	DD1200451403190012
7	B22020078	12-Mar-2019	0	41000 ✓	185322	TP1200451403190204
8	B22020079	12-Mar-2019	0	40000 ✓	145322	TP1200451403190205
9	B22020130	18-Mar-2019	0	20000 ✓	125322	TP1200451403190190
10	B22020131	18-Mar-2019	0	40000 ✓	85322	TP1200451403190189

11	B22020261	25-Mar-2019	0	80000	5322	TP1200451403190222
12	B22020268	25-Mar-2019	0	1622	3700	OP1200451403190009
13	B22020269	25-Mar-2019	0	1200	2500	DD1200451403190013
14	HS190306630	31-Mar-2019	-2500	0	0	Budget
Total :			297500	297500	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 44

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1812110537	06-Dec-2018	150000	0	150000	Budget
2	HS190306630	31-Mar-2019	-150000	0	0	Budget
Total :			0	0	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 45

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1812110537	06-Dec-2018	100000	0	100000	Budget
2	B22020262	25-Mar-2019	0	39480	60520	CB1200451403190007
3	HS190306630	31-Mar-2019	-60520	0	0	Budget
Total :			39480	39480	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 46

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	100000	0	100000	Budget
2	H1810110155	05-Oct-2018	100000	0	200000	Budget
3	B22020060	16-Nov-2018	0	91000	109000	TP1200451410180063
4	H1812110537	06-Dec-2018	100000	0	209000	Budget
5	B22020067	12-Mar-2019	0	136500	72500	TP1200451403190196
6	HS190306630	31-Mar-2019	-72500	0	0	Budget
Total :			227500	227500	0	

Scheme: 2202010010300 Object: 47

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1805110224	02-May-2018	84000	0	84000	Budget
2	B22020011	04-Jun-2018	0	17812	66188	TP1200451406180006
3	B22020007	04-Jun-2018	0	3880	62308	TP1200451405180003
4	H1810110155	05-Oct-2018	20000	0	82308	Budget
5	B22020031	05-Nov-2018	0	25230	57078	TP1200451410180059
6	B22020071	06-Dec-2018	0	1500	55578	TP1200451412180103
7	B22020072	06-Dec-2018	0	6240	49338	TP1200451412180104
8	H1812110537	06-Dec-2018	146000	0	195338	Budget
9	B22020131	14-Dec-2018	0	58175	137163	TP1200451412180130
10	B22020129	14-Dec-2018	0	14396	122767	TP1200451412180135
11	B22020129	21-Feb-2019	0	72984	49783	TP1200451402190165
12	B22020132	21-Feb-2019	0	4484	45299	TP1200451402190177
13	B22020061	12-Mar-2019	0	9520	35779	TP1200451403190202
14	B22020062	12-Mar-2019	0	8150	27629	TP1200451403190201
15	B22020166	18-Mar-2019	0	3500	24129	TP1200451403190212
16	B22020168	18-Mar-2019	0	12644	11485	TP1200451403190208
17	HS190306630	31-Mar-2019	-1699	0	9786	Budget
18	B22020340	31-Mar-2019	0	9786	0	TP1200451403190246
Total :			248301	248301	0	

Scheme: 2202011010101 Object: 20

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1806310924	19-Jun-2018	7836000	0	7836000	Budget
2	H1806300922	19-Jun-2018	61774000	0	69610000	Budget
3	B22020090	28-Jun-2018	0	7836000	61774000	TP1200451406180010
4	B22020092	28-Jun-2018	0	61774000	0	TP1200451406180009

5	H1808300463	07-Aug-2018	24763000	0	24763000	Budget
6	H1808310464	07-Aug-2018	3141000	0	27904000	Budget
7	B22020143	25-Aug-2018	0	3141000	24763000	TP1200451408180034
8	B22020142	25-Aug-2018	0	24763000	0	TP1200451408180033
9	H1810300160	05-Oct-2018	56615000	0	56615000	Budget
10	H1810310161	05-Oct-2018	7182000	0	63797000	Budget
11	B22020077	09-Oct-2018	0	7182000	56615000	TP1200451410180048
12	B22020076	09-Oct-2018	0	56615000	0	TP1200451410180047
13	H1811310596	16-Nov-2018	1734000	0	1734000	Budget
14	H1811300595	16-Nov-2018	13669000	0	15403000	Budget
15	B22020114	29-Nov-2018	0	13669000	1734000	TP1200451411180071
16	B22020115	30-Nov-2018	0	1734000	0	TP1200451411180072
17	H1812300709	10-Dec-2018	4073000	0	4073000	Budget
18	H1812310710	10-Dec-2018	517000	0	4590000	Budget
19	B22020166	22-Dec-2018	0	517000	4073000	TP1200451412180141
20	B22020167	22-Dec-2018	0	4073000	0	TP1200451412180140
21	H1812311318	22-Dec-2018	2325000	0	2325000	Budget
22	H1812301317	22-Dec-2018	18324000	0	20649000	Budget
23	B22020176	31-Dec-2018	0	18324000	2325000	TP1200451412180144
24	B22020175	31-Dec-2018	0	2325000	0	TP1200451412180147
25	H1901302313	29-Jan-2019	6436000	0	6436000	Budget
26	H1901312314	29-Jan-2019	817000	0	7253000	Budget
27	B22020043	08-Feb-2019	0	817000	6436000	TP1200451402190164
28	B22020042	08-Feb-2019	0	6436000	0	TP1200451402190162
29	H1902300640	08-Feb-2019	110821000	0	110821000	Budget
30	H1902310642	08-Feb-2019	13359000	0	124180000	Budget
31	B22020087	15-Feb-2019	0	13359000	110821000	TP1200451402190170
32	B22020079	15-Feb-2019	0	110821000	0	TP1200451402190169
33	H1903301872	13-Mar-2019	42442000	0	42442000	Budget
34	H1903311873	13-Mar-2019	5384000	0	47826000	Budget
35	B22020124	18-Mar-2019	0	42442000	5384000	TP1200451403190217
36	B22020125	18-Mar-2019	0	5384000	0	TP1200451403190218
37	H1903303324	23-Mar-2019	10731000	0	10731000	Budget
38	H1903313326	23-Mar-2019	1361000	0	12092000	Budget
39	H1903303401	25-Mar-2019	278000	0	12370000	Budget
40	H1903313402	25-Mar-2019	34000	0	12404000	Budget
41	B22020283	27-Mar-2019	0	1361000	11043000	TP1200451403190234
42	B22020284	27-Mar-2019	0	10731000	312000	TP1200451403190233
43	B22020289	28-Mar-2019	0	278000	34000	TP1200451403190237
44	B22020290	28-Mar-2019	0	34000	0	TP1200451403190240
Total :			393616000	393616000	0	

Scheme: 2202011010102 Object: 20

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1806110921	19-Jun-2018	184812000	0	184812000	Budget
2	B22020091	28-Jun-2018	0	184812000	0	TP1200451406180008
3	H1808110462	07-Aug-2018	74081000	0	74081000	Budget
4	B22020141	25-Aug-2018	0	74081000	0	TP1200451408180032
5	H1809301490	27-Sep-2018	812718000	0	812718000	Budget
6	B22020090	28-Sep-2018	0	812718000	0	TP1200451409180037
7	H1810110159	05-Oct-2018	169379000	0	169379000	Budget
8	B22020075	09-Oct-2018	0	169379000	0	TP1200451410180046
9	H1811110594	16-Nov-2018	40896000	0	40896000	Budget
10	B22020113	29-Nov-2018	0	40896000	0	TP1200451411180070

11	H1812110708	10-Dec-2018	12187000	0	12187000	Budget
12	B22020168	22-Dec-2018	0	12187000	0	TP1200451412180139
13	H1812111316	22-Dec-2018	54823000	0	54823000	Budget
14	B22020174	31-Dec-2018	0	54823000	0	TP1200451412180146
15	H1901112312	29-Jan-2019	19256000	0	19256000	Budget
16	H1902110635	08-Feb-2019	334897000	0	354153000	Budget
17	B22020041	08-Feb-2019	0	19256000	334897000	TP1200451402190161
18	H1902300872	11-Feb-2019	90302377	0	425199377	Budget
19	B22020078	15-Feb-2019	0	334897000	90302377	TP1200451402190168
20	B22020098	18-Feb-2019	0	90302377	0	TP1200451402190175
21	H1903111871	13-Mar-2019	126975000	0	126975000	Budget
22	B22020123	18-Mar-2019	0	126975000	0	TP1200451403190216
23	H1903303211	23-Mar-2019	251790000	0	251790000	Budget
24	H1903113322	23-Mar-2019	32104000	0	283894000	Budget
25	H1903113400	25-Mar-2019	840000	0	284734000	Budget
26	B22020286	27-Mar-2019	0	251790000	32944000	TP1200451403190235
27	B22020285	27-Mar-2019	0	32104000	840000	TP1200451403190232
28	B22020288	28-Mar-2019	0	840000	0	TP1200451403190236
Total :			2205060377	2205060377	0	

Scheme: 2202011010103 Object: 20

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1809111488	27-Sep-2018	900000000	0	900000000	Budget
2	B22020091	28-Sep-2018	0	900000000	0	TP1200451409180038
3	H1902110870	11-Feb-2019	100000000	0	100000000	Budget
4	B22020099	18-Feb-2019	0	100000000	0	TP1200451402190174
5	H1903113572	27-Mar-2019	55433558	0	55433558	Budget
6	B22020302	28-Mar-2019	0	55433558	0	TP1200451403190242
7	H1903114163	30-Mar-2019	129973000	0	129973000	Budget
8	H1903114154	30-Mar-2019	675500000	0	805473000	Budget
9	B22020343	31-Mar-2019	0	675500000	129973000	TP1200451403190250
10	B22020342	31-Mar-2019	0	129973000	0	TP1200451403190251
Total :			1860906558	1860906558	0	

Scheme: 2202011011000 Object: 42

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1811110509	15-Nov-2018	30000000	0	30000000	Budget
2	B22020112	29-Nov-2018	0	30000000	0	TP1200451411180073
Total :			30000000	30000000	0	

Scheme: 2202011020101 Object: 20

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1903113447	26-Mar-2019	55506000	0	55506000	Budget
2	B22020292	28-Mar-2019	0	55506000	0	TP1200451403190241
Total :			55506000	55506000	0	

Scheme: 2202011022000 Object: 20

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	B22020331	30-Mar-2019	0	10000000	-10000000	DD1200451403190018
2	B22020332	30-Mar-2019	0	10000000	-20000000	DD1200451403190017
3	B22020333	30-Mar-2019	0	10000000	-30000000	DD1200451403190016
4	B22020334	30-Mar-2019	0	10000000	-40000000	DD1200451403190014
5	B22020335	30-Mar-2019	0	10000000	-50000000	DD1200451403190015
6	H1903113963	30-Mar-2019	50000000	0	0	Budget
Total :			50000000	50000000	0	

Scheme:		2202011022400		Object:		42	
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks	
1	H1903114157	30-Mar-2019	500000000	0	500000000	Budget	
2	B22020338	31-Mar-2019	0	500000000	0	TP1200451403190247	
Total :			500000000	500000000	0		

Scheme:		2202011060200		Object:		16		सुश्रुति पोर्टल	
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks			
1	H1901110351	05-Jan-2019	1000000	0	1000000	Budget			
2	B22020085	15-Feb-2019	0	24500 ✓	975500	TP1200451402190160			
3	B22020026	06-Mar-2019	0	289890 ✓	685610	TP1200451403190185			
4	B22020277	25-Mar-2019	0	77880	607730	TP1200451403190230			
5	B22020293	28-Mar-2019	0	579240 ✓	28490	TP1200451403190239			
6	B22020291	28-Mar-2019	0	24800 ✓	3690	TP1200451403190238			
7	HS190306695	31-Mar-2019	-3690	0	0	Budget			
Total :			996310	996310	0				

Scheme:		2202011060200		Object:		26	
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks	
1	H1901110351	05-Jan-2019	600000	0	600000	Budget	
2	B22020068	12-Mar-2019	0	8500 ✓	591500	TP1200451403190195	
3	B22020069	12-Mar-2019	0	49400 ✓	542100	TP1200451403190194	
4	B22020074	12-Mar-2019	0	475000 ✓	67100	DD1200451403190010	
5	B22020076	12-Mar-2019	0	8909 ✓	58191	TP1200451403190203	
6	B22020271	25-Mar-2019	0	3500 ✓	54691	TP1200451403190228	
7	HS190306695	31-Mar-2019	-54691	0	0	Budget	
Total :			545309	545309	0		

Scheme:		2202011060200		Object:		42	
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks	
1	H1901110351	05-Jan-2019	120000	0	120000	Budget	
2	B22020276	25-Mar-2019	0	119935 ✓	65	TP1200451403190229	
3	HS190306695	31-Mar-2019	-65	0	0	Budget	
Total :			119935	119935	0		

Scheme:		2202011060200		Object:		46	
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks	
1	H1901110351	05-Jan-2019	100000	0	100000	Budget	
2	B22020274	25-Mar-2019	0	30500 ✓	69500	TP1200451403190226	
3	B22020275	25-Mar-2019	0	67000 ✓	2500	TP1200451403190227	
4	HS190306695	31-Mar-2019	-2500	0	0	Budget	
Total :			97500	97500	0		

Scheme:		2202018000101		Object:		20	
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks	
1	H1901310190	03-Jan-2019	97970603	0	97970603	Budget	
2	B22020106	19-Jan-2019	0	97970603	0	TP1200451401190148	
3	H1902310874	11-Feb-2019	10885623	0	10885623	Budget	
4	B22020097	18-Feb-2019	0	10885623	0	TP1200451402190176	
Total :			108856226	108856226	0		

Scheme:		2202018000200		Object:		42	
S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks	
1	H1903304159	30-Mar-2019	50000000	0	50000000	Budget	
2	H1903314160	30-Mar-2019	50000000	0	100000000	Budget	
3	B22020336	31-Mar-2019	0	50000000	50000000	TP1200451403190249	
4	B22020337	31-Mar-2019	0	50000000	0	TP1200451403190248	

Total : 10000000 10000000 0

Scheme: 2202018000900 Object: 42

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1903110578	06-Mar-2019	1000000	0	1000000	Budget
2	B22020127	18-Mar-2019	0	1000000	0	TP1200451403190207
Total :			1000000	1000000	0	

Scheme: 4202012010101 Object: 35

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1902300200	05-Feb-2019	10432849	0	10432849	Budget
2	H1902310201	05-Feb-2019	1257647	0	11690496	Budget
3	B42020014	18-Feb-2019	0	10432849	1257647	TP1200451402190172
4	B42020013	18-Feb-2019	0	1257647	0	TP1200451402190173
5	H1903314006	30-Mar-2019	139739	0	139739	Budget
6	B42020013	30-Mar-2019	0	139739	0	TP1200451403190245
7	B42020014	30-Mar-2019	0	1159205	-1159205	TP1200451403190244
8	H1903304005	30-Mar-2019	1159205	0	0	Budget
Total :			12989440	12989440	0	

Scheme: 4202012010102 Object: 35

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1902110199	05-Feb-2019	31527604	0	31527604	Budget
2	B42020015	20-Feb-2019	0	31527604	0	TP1200451402190171
3	B42020015	30-Mar-2019	0	3503067	-3503067	TP1200451403190243
4	H1903114002	30-Mar-2019	3503067	0	0	Budget
Total :			35030671	35030671	0	

Scheme: 4202012010500 Object: 24

S No.	Particulars	Date	Release Amt.	Expenditure	Balance	Remarks
1	H1809111046	19-Sep-2018	5000000	0	5000000	Budget
2	B42020002	16-Nov-2018	0	5000000	0	TP1200451410180049
Total :			5000000	5000000	0	

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 968 /01(37)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 31 मार्च, 2019

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल सिंह का प्रदेश के भीतर कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशान तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री सुशील कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 02008889184	दिनांक 30.07.2018 से 23.01.2019 तक दिनांक 11.02.2019 से 19.03.2019 तक	11768.00 13504.00
		योग-	25272.00

(रूपये पच्चीस हजार दो सौ बहत्तर मात्र)

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 21509-011 /01(37)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ २६३ /०१(१६७)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक : २९ मार्च, २०१९

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग २-४ के मूल नियम ८१-बी(१) एवं सहायक नियम १५७-ए(१) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
१.	श्री विकास जोशी, प्रधान सहायक	दि० १५.०४.२०१९ से २०.०४.२०१९ तक दिनांक १३ व १४ अप्रैल, २०१९ को क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के पूर्वनिहित अवकाश एवं दिनांक २१ अप्रैल, २०१९ को रविवार के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	०६ दिन	३०९ दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/ २५७/६-२१ /०१(१६७)/उपा०अव०/२०१८-१९ तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
२. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. सम्बन्धित कर्मचारी।
६. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

२९.०३.१९

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 965 /01(160)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 30 मार्च, 2019


आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को उनकी माताजी श्रीमी बिछना देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशान तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री मेहरबान सिंह भण्डारी प्रधान सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 010089600	दिनांक 26.02.2019 से 02.03.2019 तक	4411.00
		योग-	4411.00

(रूपये चार हजार चार सौ ग्यारह मात्र)



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 27471-74 /01(160)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/१६ /01(102)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक २४ मार्च, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री रमेश चन्द्र भट्ट, अनुसेवक	दि० 13.03.2019 से 16.03.2019 तक	04 दिन	311 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा०स्था०/ 27383-88 /01(102)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 27.03.19

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 954 /01(117)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 27 मार्च, 2019

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित अधिकारी को, उनका एवं उनकी पत्नी का प्रदेश के भीतर कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 370017713	दिनांक 21.01.2019 से 06.02.2019 तक (स्वयं का उपचार) दिनांक 14.02.2018 से 12.01.2019 तक (पत्नी श्रीमती सुनैना का उपचार)	11104.00 18175.00
		योग-	29279.00

(रूपये उनत्तीस हजार दो सौ उन्यासी मात्र)

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/ 27258-060 /01(117)/चि०प्र०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/१५५ /01(103)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री शीशपाल, अनुसेवक	दि० 15.04.2019 से 26.04.2019 तक दिनांक 13 व 14 अप्रैल, 2019 को क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के पूर्वनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	12 दिन	292 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(103)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

22.03.19

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 913 /01(34)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 16 मार्च, 2019


आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनका प्रदेश के भीतर कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री सुशील कुमार सिंह वरिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 020088889184	दिनांक 10.01.2019 से 27.01.2019 तक	45002.00
		योग-	45002.00

(रूपये पैंतालिस हजार दो मात्र)


(सुभाष-कन्धु मट्ट)
संयुक्त निदेशक/


आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 26525-28

/01(34)/चि0प्र0/2018-19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ १॥ /उपा०अव०/2018-19

दिनांक : 15 मार्च, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश संख्या : 80/XXX(2)/2019-04का०-2/13 दिनांक 09 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशानुसार, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान से दिनांक 31.01.2019 को सामूहिक अवकाश पर रहे निम्नांकित तालिका में अंकित कार्मिकों का वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए (1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि दिनांक 31.01.2019 (कुल एक दिन) का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	कार्मिक का नाम	पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	एक दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृति के उपरान्त शेष उपार्जित अवकाश
1	010028078	श्री प्रेन शंकर	मुख्य प्रशा० अधिकारी	31.01.2019	1	300+15 दिन
2	010097096	श्री हरीश चन्द्र वैष्णव	मुख्य प्रशा० अधिकारी	31.01.2019	1	300+15 दिन
3	010086611	श्री अर्जुन सिंह असवाल	मुख्य प्रशा० अधिकारी	31.01.2019	1	300+15 दिन
4	010029457	श्रीमती रेनु कुकरेली	वरिष्ठ प्रशा० अधि०	31.01.2019	1	300+15 दिन
5	010097228	श्रीमती सुनीता रतूड़ी	वरिष्ठ प्रशा० अधि०	31.01.2019	1	291 दिन
6	010086616	श्री बसुदेव सिंह बिष्ट	वरिष्ठ प्रशा० अधि०	31.01.2019	1	300+15 दिन
7	42003184	श्री नदन सिंह बिष्ट	वरिष्ठ प्रशा० अधि०	31.01.2019	1	300+15 दिन
8	39002542	श्री अनूप चन्द्र लडोला	वरिष्ठ प्रशा० अधि०	31.01.2019	1	300+15 दिन
9	010096815	श्री अम्बरीष भट्ट	वैयक्तिक सहायक	31.01.2019	1	300+15 दिन
10	420077220	श्री प्रदीप भण्डारी	प्रधान सहायक	31.01.2019	1	185 दिन
11	75007897	श्री लाल सिंह कार्की	प्रधान सहायक	31.01.2019	1	297 दिन
12	010089600	श्री मेहरबान सिंह भण्डारी	प्रधान सहायक	31.01.2019	1	300+06 दिन
13	010097079	श्री विकास जोशी	प्रधान सहायक	31.01.2019	1	300+15 दिन
14	020088889181	श्री नदीम दिलशाद	वरिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	295 दिन
15	020088889184	श्री सुरील कुमार सिंह	वरिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	154 दिन
16	010097404	श्री विजय सिंह	वरिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	299 दिन
17	06007835742	श्री प्रदीप कुमार थिलियाल	वरिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	286 दिन
18	10003910	श्री दुर्गेश कुमार	वरिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	191 दिन
19	420078710	श्री सुभाष रतूड़ी	वरिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	254 दिन
20	010097258	तनवीर जहाँ	वरिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	108 दिन
21	010094791	श्री रोहित रायत	वरिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	300+15 दिन

(Signature)

कमश: अगले पेज पर

22	010029155	श्री विक्रम सिंह कण्डारी	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	300+15 दिन
23	010030440	श्री पुरुषोत्तम प्रसाद सती	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	223 दिन
24	41002112375	श्री कृष्णकांत नौटियाल	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	156 दिन
25	45140313M02323	श्री विनोद पयाल	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	156 दिन
26	45020313M00402	श्री रामगोपाल जगूडी	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	95 दिन
27	45140313M05833	श्री पंकज कुमार सिंह	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	124 दिन
28	3700222251541	श्री दीपक जोशी	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	122 दिन
29	45020313M00396	श्रीमती दीपशिखा नेगी	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	155 दिन
30	45020313F00338	श्री प्रियंका बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	151 दिन
31	45140313M12257	श्री विनल असवाल	कनिष्ठ सहायक	31.01.2019	1	49 दिन
32	40007418	श्री राघवानन्द सती	अनुसेवक	31.01.2019	1	300+12 दिन
33	010088537	श्री सुफल सिंह कँत्युरा	अनुसेवक	31.01.2019	1	300+10 दिन
34	010049312	श्री सादर सिंह	अनुसेवक	31.01.2019	1	300+12 दिन
35	610039001037	श्री रमेश चन्द्र मट्ट	अनुसेवक	31.01.2019	1	300+15 दिन
36	020030616	श्री अशोक कुमार मट्ट	अनुसेवक	31.01.2019	1	277 दिन
37	020088889265	श्री अशोक कुमार	दफ्तरी	31.01.2019	1	300+15 दिन
38	90009005220	श्री रमेश लाल	अनुसेवक	31.01.2019	1	215 दिन

ह0/-
(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा0स्था0 / 26505-12

/उपा0अव0/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0), गढ़वाल मण्डल पौड़ी, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 15.03.19
संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ १०३ /01(109)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 12 मार्च, 2019

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनका प्रदेश के भीतर कराये गये चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्रीमती आकांक्षा त्रिपाठी कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 45140313F09134	दिनांक 08.12.2018 से 17.12.2018 तक दिनांक 26.04.2018 से 20.11.2018 तक	35,583.00 34,174.00
		योग	69,757.00

(रूपये उनहत्तर हजार सात सौ सत्तावन मात्र)

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/

26177-80

/01(109)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ १०२ /०१(६५)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक : १२ मार्च, २०१९

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग २-४ के मूल नियम ८१-बी(१) एवं सहायक नियम १५७-ए(१) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
१.	श्री पुरुषोत्तम प्रसाद सती, कनिष्ठ सहायक	दि० ०२.०३.२०१९ से ११.०३.२०१९ तक	१० दिन	२२४ दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा०स्था०/ २६१७१-७६ /०१(६५)/उपा०अव०/२०१८-१९ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
२. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. सम्बन्धित कर्मचारी।
६. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) १२.०३.१९
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

आदेश सं० - लेखा- स्या० / 872 / 01 (65) अणुअव/2018-19

दिनांक - 05 मार्च, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृत आदेश

विज्ञापित दस्त पुस्तिका खण्ड- 2 भाग- 2-4 के मूल नियम 81-बी (ए) एवं सहायक नियम 157-ए (1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत, श्री पुष्पलता प्रसाद सती, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक विद्या निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक- 05.02.2019 से 28.02.2019 तक कुल-24 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।


ह/ -
(राजेश कुमार कुंवर)

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

पृ० सं० - लेखा- स्या० / 25687-92 / 01 (65) / अणुअव/2018-19
तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वित्त अधिकारी, साईबर कौषागा, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 2- ज़ाहिरा- वित्त अधिकारी, प्रा०।श्री० नि० उ० देहरादून।
- 3- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रा०।श्री० नि० उ० देहरादून।
- 4- सम्बन्धित अनुभाग / नियंत्रक अधिकारी, प्रा०।श्री० नि० उ० देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 6- कार्यालय गार्ड फाईल।

 05.03.19
संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून


प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या :लेखा-स्था0 / ४७० / 01(4) / कार्यआ0 / 2018-19 दिनांक: ०2 मार्च, 2019

कार्यालय आदेश

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों के अनुभागों में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कार्यरत अनुभाग	परिवर्तित नवीन आवंटित अनुभाग
1.	श्री रमेश लाल, अनुसेवक	लेखा-स्थापना	विधि
2.	श्री दलबीर सिंह सोलंकी	पत्र-प्रेषण	लेखा-स्थापना
3.	श्री जसपाल सिंह अनुसेवक	विधि अनुभाग	पत्र-प्रेषण, सेवा-2, 3 एवं नियोजन अनुभाग।



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था0 / 25636-40 / 01(4) / कार्यआ0 / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक, महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सम्बन्धित अनुभाग / व०प्र०अ० / मु०प्र०अ०, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक, 02.03.19
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/ 860 /01(64)/चि0अ0/2018-19 दिनांक: 28 फरवरी, 2019

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल चिकित्सा अवकाश उपभोग किये जा चुके दिनों की संख्या
1.	श्री विक्रम सिंह कण्डारी, कनिष्ठ सहायक	दि० 06.02.2019 से 20.02.2019 तक	15 दिन	45 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था0/ 25431-36 /01(64)/चि0अ0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
27.2.19

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 859 /01(147)/2018-19 दिनांक: 28 फरवरी, 2019

बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनु०-7 देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 11/xxvii(7)34/2011 दिनांक 30 मई, 2011 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, श्रीमती दीपशिखा नेगी, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को कैलेण्डर वर्ष 2019 में प्रथम बार दिनांक 25.02.2019 से 18.03.2019 तक कुल 22 दिनों के बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त उनके अवकाश लेखे में कुल 201 दिनों के बाल्य देखभाल अवकाशों के उपभोग हो जायेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(147)/2017-18 तददिनांकित।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/

25424-30

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. श्रीमती दीपशिखा नेगी, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में आपकी ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत बाल्य देखभाल अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आपको तत्काल कार्य पर लौटना होगा।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

27.02.19

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ 250 /01(125)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 28 फरवरी, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री रामगोपाल जगूड़ी, कनिष्ठ सहायक	दि० 01.03.2019 से 08.03.2019 तक दिनांक 09 व 10 मार्च, 2019 को क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	08 दिन	96 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/

/01(125)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री रामगोपाल जगूड़ी, कनिष्ठ सहायक को इस निर्देश के साथ कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में आपकी ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं आपको कार्य पर लौटना होगा।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 27.2.19
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 836 /01(102)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 18 फरवरी, 2019


आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनके पुत्र द्वारिका प्रसाद भट्ट का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय के धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री रमेश चन्द्र भट्ट, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 610039001037	21.12.2018	8053.00
		योग	8053.00

(रूपये आठ हजार तिरप्पन मात्र)


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
18.02.19
संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


पू0सं0/लेखा-स्था0/

24557.60

/01(102)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 835 /01(158)/2018-19 दिनांक: 18 फरवरी, 2019

बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनु०-7 देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 11/xxvii(7)34/2011 दिनांक 30 मई, 2011 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, श्रीमती सुनीता रतूड़ी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को कैलेण्डर वर्ष 2019 में प्रथम बार दिनांक 16.02.2019 से 02.03.2019 तक कुल 15 दिनों के बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त उनके अवकाश लेखे में कुल 114 दिनों के बाल्य देखभाल अवकाशों के उपभोग हो जायेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(158)/2017-18 तददिनांकित।

पृ०सं०:/लेखा-स्था०/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 18.02.19

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश संख्या/01(117)/लेखा-स्था0/803/चिकि0अव0/2018-19 दिनांक: 14 फरवरी, 2019

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 21.01.2019 से 06.02.2019 तक कुल 17 दिनों का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त उनके चिकित्सा अवकाश लेखे में कुल 17 दिनों के चिकित्सा अवकाशों के उपभोग हो जायेंगे।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/चिकि0अव0/2018-19 तददिनांकित्।

पृ0सं0:/01(117)/लेखा-स्था0/

24089-94

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

14.02.19

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 747 / 01(43) / 2018-19 दिनांक: 08 फरवरी, 2019

कार्यालय आदेश

श्री अनूप कुमार दुबे, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय-प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्ययोजित किया जाता है। कार्ययोजित कार्मिक को वेतनादि का भुगतान उनके मूल कार्यालय से ही किया जायेगा तथा इस कार्ययोजन के फलस्वरूप श्री दुबे को कोई अतिरिक्त वेतन तथा भत्ते आदि नहीं दिये जायेंगे।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(43)/2018-19 तददिनांकित।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 /

23197-204

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंहनगर।
7. प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. कार्यालय गार्ड फाईल।

(वी0एस0 रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 651 /01(58)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 22 जनवरी, 2019


आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनकी माताजी श्रीमती कुसमा देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय के धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री गोविन्द सिंह पंवार, वाहन चालक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 010088539	30.08.2018 से 11.12.2018 तक	26236.00
		योग	26236.00


(रुपये छब्बीस हजार दो सौ छत्तीस मात्र)


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 21256-59 /01(58)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ 711 /01(101)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 01 फरवरी, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अशोक कुमार मट्ट, अनुसेवक	दि० 01.02.2019 से 15.02.2019 तक	15 दिन	278 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा०स्था०/ 22229-3A /01(101)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/ 715 /01(37)/चि0अ0/2018-19 दिनांक: 01 फरवरी, 2019

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल चिकित्सा अवकाश उपभोग किये जा चुके दिनों की संख्या
1.	श्री सुशील कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक	दि० 07.01.2019 से 25.01.2019 तक	19 दिन	61 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था0/ 22270-83 /01(37)/चि0अ0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 01.02.19

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ 714 /01(103)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 01 फरवरी, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री शीशपाल, अनुसेवक	दि० 28.01.2019 से 08.02.2019 तक	12 दिन	304 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/ 22272-77 /01(103)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 01.02.19
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 712 /01(139)/कार्या०आ०/2018-19 दिनांक: 01 फरवरी, 2019

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या/प्रा०शि०/वै०सं०/657/157(1)/2018-19 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा, श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को दिनांक 02 फरवरी, 2019 से 04 फरवरी, 2019 तक जनपद रुद्रप्रयाग के शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आदेशित किये जाने तथा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या - म०नि०/402/आधार/विविध/X-29/2018-19 दिनांक 01 फरवरी, 2019 के द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2019 से 07 फरवरी, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किये जाने हेतु आदेशित किये जाने के फलस्वरूप श्री नरवीर सिंह बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को लोक सूचना अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय नामित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि श्री बिष्ट अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान कार्य एवं दायित्वों के साथ-साथ लोक सूचना अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के कार्य एवं दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।


(राकेश कुमार कुवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा-स्था०/ 22235-48 /01(139)/कार्या०आ०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर शिक्षा निदेशक (प्रा०शि०/मा०शि०)/गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०शि०/प्रा०शि०) उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. सम्बन्धित अधिकारीगण।
14. कार्यालय गार्ड फाईल।


निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ 673 /01(142)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 30 जनवरी, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री कृष्णकांत नौटियाल, कनिष्ठ सहायक	दि० 01.02.2019 से 08.02.2019 तक दिनांक 09 व 10 फरवरी, 2019 को कमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	08 दिन	157 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/ 21771-77 /01(142)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री विनोद पयाल, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्तांकित कर्मचारी की अवकाश अवधि में दिनांक 01.02.2019 से 04.02.2019 तक आप उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं दिनांक 05.02.2019 से 08.02.2019 तक श्री विमल असवाल, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


30.01.19

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या :लेखा-स्था0 / 672 / 01(4) / कार्यआ0 / 2018-19 दिनांक: 30 जनवरी, 2019

कार्यालय आदेश

श्री वी0एन0 सिंह, प्र0 संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के दिनांक 20.01.2019 से चिकित्सा अवकाश में रहने के फलस्वरूप, श्री मेहरबान सिंह बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को आदेशित किया जाता है कि उक्तांकित अधिकारी की अवकाश अवधि तक आप उनके (सेवायें-03 एवं अर्थ अनुभाग के) कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।


(राकेश कुमार कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 2164-70 / 01(4) / कार्यआ0 / 2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग / मु0प्र0अ0, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।


निदेशक, 9.01.2019

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 666 / 01(144) / कार्यआ0 / 2018-19 दिनांक: 29 जनवरी, 2019

कार्यालय आदेश


श्री अशोक कुमार भट्ट, अनुसेवक (डाक वाहक), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के अस्वस्थ होने के फलस्वरूप, श्री रमेश लाल, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्तांकित कर्मचारी की ^{अनस्थिति} अवधि तक शासन से डाक लाने व ले जाने हेतु अधिकृत किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि कल दिनांक 30.01.2019 से कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।


(वीएस0 रावत)
अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 21684-93 / 01(144) / कार्यआ0 / 2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक, महोदय के संज्ञानार्थ।
7. सम्बन्धित अनुभाग / मु0प्र0अ0, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
10. कार्यालय गार्ड फाईल।


अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश संख्या/लेखा-स्था0/ 659 /01(33)/चि0अ0/2018-19 दिनांक: 25 जनवरी, 2019

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल चिकित्सा अवकाश उपभोग किये जा चुके दिनों की संख्या
1.	कु० तनवीर जहाँ, वरिष्ठ सहायक	दि० 02.01.2019 से 08.01.2019 तक	07 दिन	121 दिन


ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 21398-403 /01(33)/चि०अ०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।



24/1/19
(मेहरबान सिंह बिष्ट)

उप निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

संख्या : लेखा-स्था0 / 612 / 01(171) / कार्यआ0 / 2018-19 दिनांक: 09 जनवरी, 2019

कार्यालय आदेश

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 09.01.2019 के पूर्वान्ह में उप निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप, श्री मेहरबान सिंह बिष्ट को निम्नांकित अनुभाग एवं कार्य आवंटित किये जाते हैं, आप आवंटित अनुभाग के समस्त कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होंगे एवं दिये गये कार्यों को निष्ठापूर्वक सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

1. अशासकीय अनुभाग
2. विधि अनुभाग से सम्बन्धित Counter Affidavit एवं अन्य पत्रजातों के परीक्षण सम्बन्धी कार्य।

ह0 / -

(वी0एस0 रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 20485-89 / 01(171) / कार्यआ0 / 2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त अनुभाग / नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभष् चन्द्र भट्ट) 09.01.19

संयुक्त निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

आदेश संख्या/लेखा0स्था0/627 /कार्यमुक्त/2018-19 दिनांक 15 जनवरी 2019

कार्यभार मुक्त आदेश


उत्तराखण्ड शासन विद्यालयी शिक्षा विभाग देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/पी0एस0-वि0शि0/2019 दिनांक 03 जनवरी 2019 के अनुपालन में श्री गोविन्द राम जायसवाल, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय देहरादून का स्थानान्तरण खण्ड शिक्षा अधिकारी, सितारगंज, उधमसिंह नगर किये जाने के फलस्वरूप निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के आदेश संख्या/लेखा0स्था0/610/2018-19 दिनांक 09 जनवरी 2019 द्वारा कार्यमुक्त किया गया था। उत्तराखण्ड शासन विद्यालयी शिक्षा विभाग देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या /856/पी0एस0-वि0शि0 /2019 देहरादून दिनांक 14 जनवरी 2019 के द्वारा श्री गोविन्द राम जायसवाल का स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, हरिद्वार के पद पर संशोधित होने के फलस्वरूप निदेशालय के पूर्व कार्यमुक्त आदेश में खण्ड शिक्षा अधिकारी, सितारगंज, उधमसिंह नगर के स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, हरिद्वार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संशोधित करते हुए कार्यमुक्त किया जाता है।


(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0सं0/लेखा0स्था0/20686-98 /कार्यमुक्त/2018-19 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन विद्यालयी शिक्षा, विभाग देहरादून।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
6. मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमांज नैनीताल।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार/उधमसिंह नगर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
9. मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार/उधमसिंह नगर।
10. आहरण वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त अधिकारी, साईवर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, सितारगंज, उधमसिंह नगर।
13. स्टॉफ आफिसर, प्रा0शि0 निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
14. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रा0शि0 निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
15. सम्बन्धित अधिकारी।
16. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
सयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या :लेखा-स्था0/ 611 /01(171)/कार्य0ग्र0/2018-19 दिनांक: 09 जनवरी, 2019

कार्यभार ग्रहण आदेश

उत्तराखण्ड शासन, विद्यालयी शिक्षा विभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 844/पी0एस0-वि0शि0/2019 दिनांक 03 जनवरी, 2019 के द्वारा (क्रम संख्या-11 पर अंकित) श्री मेहरबान सिंह बिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), हरिद्वार का स्थानान्तरण उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 09.01.2019 के पूर्वान्ह में उप निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

ह0/-

(वी0एस0 रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0/ 20470-84 /01(171)/कार्य0ग्र0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, विद्यालयी शिक्षा विभाग, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0/प्रा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कु0मं0 नैनीताल।
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
10. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
12. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
13. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. सम्बन्धित अधिकारी।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 09.01.19

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 667 / 01(169) / कार्यआ0 / 2018-19 दिनांक: 08 जनवरी, 2019

कार्यालय आदेश

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 07.01.2019 के अपसन्ध में उप निदेशक के पद पर योगदान दिये जाने के फलस्वरूप, श्रीमती हेमलता भट्ट को निम्नांकित अनुभाग एवं कार्य आवंटित किये जाते हैं, आप आवंटित अनुभाग के समस्त कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होंगी एवं दिये गये कार्यों को निष्ठापूर्वक सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगी।

1. अकादमिक, विविध एवं क्रीड़ा अनुभाग
2. Monthly Test, Text Book/DBT, Aadhar एवं CM Dash Board सम्बन्धी कार्य।

ह0/-

(वी0एस0 रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 20411-15 / 01(169) / कार्य0आ0 / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।

Swat 08.01.19
(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश संख्या :लेखा-स्था0 / 606 / 01(169) / कार्य0ग्र0 / 2018-19 दिनांक: 09 जनवरी, 2019

कार्यभार ग्रहण आदेश

उत्तराखण्ड शासन, विद्यालयी शिक्षा विभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 844/पी0एस0-वि0शि0/2019 दिनांक 03 जनवरी, 2019 के द्वारा (क्रम संख्या-12 पर अंकित) श्रीमती हेमलता भट्ट, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, देहरादून का स्थानान्तरण उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 07.01.2019 के अपरान्ह में उप निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

ह0/-

(वी0एस0 रावत)


अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(169)/कार्य0ग्र0/2018-19 तददिनांकित।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 20395-409
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, विद्यालयी शिक्षा विभाग, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0/प्रा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कु0मं0 नैनीताल।
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
10. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
12. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
13. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. सम्बन्धित अधिकारी।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।



प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

आदेश सं०/लेखा-स्था०/643 /01(61)/चिकि०अव०/2018-19, दिनांक, 8 जनवरी 2019

चिकित्सा अवकाश स्वीकृत आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) एवं सहायक नियम 157 ए(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल उपभोग किये जा चुके अवकाशों की संख्या
1	श्री गोविन्द राम जायसवाल, उप निदेशक	05.01.2019 से 14.01.2019	10 दिन	89 दिन

ह०/-

(वी०एस०रावत)

प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/20971-75 /01(62)/चिकि०अव०/2018-19 दिनांक: उक्ततिथि
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 2-आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-सम्बन्धित अधिकारी।
- 5-कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

आदेश संख्या/लेखा0स्था0/ 631 /कार्यमुक्त/2018-19 दिनांक 15 जनवरी 2019

कार्यभार मुक्त आदेश


अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी गढवाल के आदेश संख्या/सेवा0 अराज0/205/3ख (4)/अधि0का0/2018-19 दिनांक 11 जनवरी 2019 के द्वारा (क्रम संख्या 25 पर अंकित) श्री अमित रावत, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून का समान श्रेणी के कार्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, कालसी, देहरादून में उसी पद एवं वेतनक्रम में अधिसंख्यक पद पर तैनात किये जाने के फलस्वरूप श्री रावत को आज दिनांक 15-01-2019 के अपराहन में कार्यमुक्त किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित अवधि में पदस्थापित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।

—Eo/-
(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


पू0सं0/लेखा0स्था0/ 20749-62 /कार्यमुक्त/2018-19 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा गढवाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0/मा0शि0 देहरादून।
7. उप कोषाधिकारी विकासनगर, देहरादून।
8. आहरण वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त अधिकारी, साईवर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, कालसी देहरादून।
11. स्टॉफ आफिसर, प्रा0शि0 निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
12. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रा0शि0 निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
13. सम्बन्धित कर्मचारी
14. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
सयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
15.01.19

प्रभार-प्रमाणक

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या : सेवा-प्रशा0/328/2018-19 दिनांक 09 जनवरी, 2019 एवं कार्यालय आदेश संख्या: सेवा-प्रशा0/329/2018-19 दिनांक 09 जनवरी, 2019 के द्वारा, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्य एवं दायित्वों तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन किये जाने हेतु श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, प्रभारी अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 10.01.2019 के पूर्वान्ह में प्रभारी निदेशक के पद पर अपना योगदान दे दिया गया है।



(वीरेन्द्र सिंह रावत)

प्रभारी निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


कार्यालय - निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

पू0सं0: लेखा-स्था0/ 20580-99 /01(140)/प्र0प्र0/2018-19 दिनांक : 14 जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
8. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
10. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।
11. अपर निदेशक, मा0शि0/प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
12. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
14. वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
15. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0/मा0शि0 उत्तराखण्ड।
17. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/स्टाफ ऑफिसर/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/समस्त अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एलाहाबाद बैंक, देहरादून।
19. मुख्य पोस्ट पास्टर, पोस्ट ऑफिस (जीपीओ), देहरादून।
20. कार्यालय गार्ड फाईल।



प्रभारी निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के हस्ताक्षर निम्नवत् प्रमाणित किये जाते हैं:-

1. 

2. 

3. 


(अमिता जोशी)

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/630 /01(141)/उपा० अव०/2018.19 दिनांक 15 जनवरी, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृत आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81 बी (1) एवं सहायक नियम 157-ए (1) में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण औसत वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।


क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पद नाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अशोक कुमार दफ्तरी	दिनांक 16.01.2019 से 25.01.2019 तक	10 दिन	306 दिन

ह०/
(वी० एस० रावत)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०स०: / ले०-स्था०/20 ~~36~~ 39 /01(141)/उपा०अव०/2018.19तदिनांककित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त अधिकारी, साईवर कोषागार 23 लक्ष्मीरोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. श्री अशोक कुमार दफ्तरी प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र मट्ट)
सयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
15.01.19

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 644 /01(62)/उपा०अव०/2018-19, दिनांक 18 जनवरी 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृत आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	अवशेष दिन
1	श्री दलबीर सिंह सोलंकी, अनुसेवक	21.01.2019 से 31.01.19	11 दिन	305

ह०/-

(वी०एस०रावत)

प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/ 20476-81 /01(62)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक: उक्ततिथि
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 2-आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
- 5-सम्बन्धित कर्मचारी।
- 6-कार्यालय सुरिक्षत गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 17.01.19

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 643 /01(61)/चिकि०अव०/2018-19, दिनांक 18 जनवरी 2019

चिकित्सा अवकाश स्वीकृत आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) एवं सहायक नियम 157 ए(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित तालिका में अंकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल उपभोग किये जा चुके अवकाशों की संख्या
1	श्री गोविन्द राम जायसवाल, उप निदेशक	05.01.2019 से 14.01.2019	10 दिन	89 दिन

ह०/-

(वी०एस०रावत)

प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/ 20971-75 /01(62)/चिकि०अव०/2018-19 दिनांक: उक्ततिथि
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 2-आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-सम्बन्धित अधिकारी।
- 5-कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 18.01.19

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ 638 /01(100)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 16 जनवरी, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अतुल कठैत, प्रधान सहायक,	दि० 21.01.2019 से 02.02.2019 तक	13 दिन	226 दिन

ह०/-

(वी०एस०रावत)

प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/ 20852-57 /01(100)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 16.01.19
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ 637 /01(143)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 16 जनवरी, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री विनोद पयाल, क० सहायक,	दि० 21.01.2019 से 25 01 2019 तक	05 दिन	136 दिन

ह०/-

(वी०एस०रावत)

प्रभारी निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा०स्था०/ 20790-95 /01(143)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

Received
Vimo.
17.01.19
J.A., R.T.I.

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 15.01.19

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या :लेखा-स्था0/ 602 /01(43)/2018-19 दिनांक: 07 जनवरी, 2019

कार्यालय आदेश

श्री अनूप कुमार दुबे, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय-प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर को दिनांक 31 जनवरी 2019 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्ययोजित किया जाता है। कार्ययोजित कार्मिक को वेतनादि का भुगतान उनके मूल कार्यालय से ही किया जायेगा तथा इस कार्ययोजन के फलस्वरूप श्री दुबे को कोई अतिरिक्त वेतन तथा भत्ते आदि नहीं दिये जायेंगे।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(43)/2018-19 तददिनांकित।

पृ0सं0: लेखा-स्था0/

20228-36

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंहनगर।
7. प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. कार्यालय गार्ड फाईल।

(वी0एस0 रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/599 /01(133)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 02 जनवरी, 2019

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री पंकज कुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक	दि० 07.01.2019 से 11.01.2019 तक दिनांक 06.01.2019 को रविवार के पूर्वनिहित अवकाश एवं दिनांक 12 व 13 जनवरी, 2019 को क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	05 दिन	125 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/ 20188-94 /01(133)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. विधि अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 05.01.19


संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०: /लेखा-स्था०/ 600 /01(75)/कार्य०मु०/2018-19 दिनांक : 07 जनवरी, 2019

कार्यभार मुक्त आदेश

उत्तराखण्ड शासन, विद्यालयी शिक्षा विभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 844/पी०एस०-वि०शि०/2019 दिनांक 03 जनवरी, 2019 के द्वारा (कम संख्या-14 पर अंकित), श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक देहरादून में किये जाने के फलस्वरूप उनको आज दिनांक 07.01.2019 के पूर्वान्ह में स्थानान्तरित कार्यालय हेतु कार्यभार मुक्त किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि तत्काल अपनी उपस्थिति नव तैनाती स्थल पर देना सुनिश्चित करें।


(सुभाष चन्द्र भट्ट) 07.01.19
संयुक्त निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था०/ 20201-15

/01(75)/कार्य०मु०/2018-19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, विद्यालयी शिक्षा विभाग, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०/प्रा०शि०) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कु०मं० नैनीताल।
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
10. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
12. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. सम्बन्धित अधिकारी।
14. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


**अवकाश यात्रा सुविधा स्वीकृति आदेश
(LEAVE TRAVEL CONCESSION)**

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या - 1115/वि0अनु0-3/2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 एवं संशोधित शासनादेश संख्या : 330/xxvii/(3)अ0या0सु0/2005 दिनांक 18 अगस्त, 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत, श्री सुभाष रतूड़ी, वरिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को दिनांक 12.01.2019 से 26.01.2019 तक कुल 15 दिन तक की अवधि में उनके परिवार के सदस्यों के साथ कैलेण्डर वर्ष 2019 में 05 वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण करने के आधार पर मुख्यालय देहरादून से गन्तव्य स्थान - अण्डमान निकोबार, भारत तक भ्रमण हेतु जाने तथा वहां से वापस आने के लिये (प्रथम बार) अवकाश यात्रा सुविधा (Leave Travel Concession) की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


श्री सुभाष रतूड़ी को उक्तांकित अवकाश यात्रा सुविधा के उपभोग करने हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 12.01.2019 से 26.01.2019 तक कुल 15 दिनों की अवधि का उपाजित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

शासनादेश संख्या - 1115 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 में निहित प्राविधानों के अनुसार, सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिये निम्नांकित कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी :-

- (1) शासनादेश के प्रस्तर-4 के अनुसार, 'एक ही वर्ष में दो अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।'
- (2) शासनादेश के प्रस्तर-7 के अनुसार, 'अवकाश यात्रा सुविधा भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर आने-जाने के लिये न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी। गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रुकने अथवा अवस्थान किये जाने से आपत्ति नहीं होगी, परन्तु उसे किराया निर्धारित दूरी के लिये सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा।'
- (3) शासनादेश के प्रस्तर-8 के अनुसार, 'यह सुविधा सम्बन्धित सरकारी सेवक को सम्मिलित करते हुये परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी।'
- (4) शासनादेश के प्रस्तर-10 के अनुसार, 'सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की उस श्रेणी में यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी, जिसके लिये सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिये सामान्यतः अधिकृत है।'
- (5) शासनादेश के प्रस्तर-12 के अनुसार, 'यदि रेल यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की जाती है तो उस स्थिति में रेल की निम्नतर श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा।'
- (6) शासनादेश के प्रस्तर-13 के अनुसार, 'इस सुविधा के अन्तर्गत यात्रा पर कोई आनुषंगिक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा सड़क मील भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।'
- (7) शासनादेश के प्रस्तर-14 के अनुसार, 'यदि पति तथा पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों तथा पति और पत्नी दोनों को उक्त सुविधा अनुमन्य हो, तो उस स्थिति में यह सुविधा पति अथवा पत्नी में से किसी एक को ग्राह्य होगी।'

 कमश: अगले पेज पर

- (8) शासनादेश के प्रस्तर-15 के अनुसार, 'यदि सरकारी सेवक इस सुविधा के सम्बन्ध में अपना दावा वास्तविक यात्रा के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका दावा व्यपगत हो जायेगा।'
- (9) शासनादेश के प्रस्तर-17 के अनुसार, 'इस सुविधा के सम्बन्ध में दावे की प्रतिपूर्ति का बिल यात्रा भत्ता बिल के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा और बिल के शीर्ष पर "अवकाश यात्रा सुविधा" अंकित कर दिया जायेगा तथा सरकारी सेवक द्वारा इस आशय का सामान्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उसके द्वारा वास्तव में यात्रायें पूर्ण कर ली गयी हैं और यात्रायें उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में नहीं की गयी हैं जिसके लिये प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।'
- (10) शासनादेश के प्रस्तर-19 के अनुसार, 'सरकारी सेवक द्वारा अवकाश यात्रा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण जैसे टिकट नम्बर/रसीद आदि को अनिवार्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है। गलत दावा प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित कर्मचारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा शासनादेश के प्रस्तर - 22 एवं 23 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।'
- (11) शासनादेश के प्रस्तर-24(क) के अनुसार, 'सरकारी सेवक द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा बिल के साथ "शासनादेश के प्रस्तर-24(क)" में अंकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।'
- (12) शासनादेश संख्या-330 दिनांक 18 अगस्त, 2005 के अनुसार, 'अवकाश यात्रा सुविधा रेल के अलावा वायुयान या अन्य साधनों से भी की जा सकती है लेकिन सरकारी सेवक की अनुमन्यता की श्रेणी की धनराशि ही यात्रा भत्ता दावों में देय होगी। जिन स्थानों/प्रदेशों में रेल से जाने की सुविधा नहीं है वहाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सड़क या नौका वाहन के साधन द्वारा भी यात्रा की जा सकती है, ऐसी स्थिति में यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित क्षेत्र की सरकार/संस्था द्वारा लागू किराये के अनुसार ही दावे की प्रतिपूर्ति उस यात्रा की रसीद देयक के साथ प्रस्तुत करने पर की जायेगी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सरकारी सेवक के द्वारा लिखित रूप में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वहाँ रेल सुविधा नहीं है और अमुक सुविधा ही उपलब्ध थी।'
- (13) 'अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत मानक मद "45-अवकाश यात्रा व्यय" के नामे डाला जायेगा।'


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
/01(34)/2018-19 तददिनांकित।

पृ0सं0 : लेखा-स्था0 /

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
02.01.2019

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 569/01(41)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री प्रदीप सिंह भण्डारी, प्रधान सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 27.12.2018 से 15.01.2019 तक कुल 20 दिनों का उपार्जित अवकाश उपभोग की अनुमति पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री भण्डारी के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 186 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रह जायेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 19521-26 /01(41)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

26/12/2018

(वी०एन० सिंह)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/563 /01(168)/चि0अ0/2018-19 दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल चिकित्सा अवकाश उपभोग किये जा चुके दिनों की संख्या
1.	श्री चारुचन्द्र काण्डपाल, प्रशासनिक अधिकारी	दि० 28.11.2018 से 09.12.2018 तक	12 दिन	186 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था0/19335-40 /01(168)/चि0अ0/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 20.12.18
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०:लेखा-स्था०/ 560 /का०आ०/2018-19

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (4) में अंकित नवीन अनुभाग आवंटित किया जाता है एवं उन्हें आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब नवीन आवंटित अनुभाग में अपना योगदान देते हुये योगदान आख्या लेखा-स्थापना अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटित अनुभाग	नवीन आवंटित अनुभाग/कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री चारुचन्द्र काण्डपाल, प्रशासनिक अधिकारी	अकादमिक एवं नियोजन अनुभाग	विधि अनुभाग
2.	कु० तनवीर जहाँ, वरिष्ठ सहायक	विधि अनुभाग	अकादमिक एवं नियोजन अनुभाग

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था०/ 19296-1930 /का०आ०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रा०शि०नि०उ० दे०दून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 19.12.18

संयुक्त निदेशक,
(लेखा-स्थापना अनुभाग)
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/559/01(72)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक: 18 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री नरवीर सिंह बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 24.12.2018 से 05.01.2019 तक कुल 13 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री बिष्ट के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 296 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह०/-


(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/19147-054 /01(72)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी की अवकाश अवधि में आप उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट) 18.12.2018
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश संख्या/लेखा-स्था0/554/01(65)/चि0अ0/2018-19 दिनांक: 14 दिसम्बर, 2018

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल चिकित्सा अवकाश उपभोग किये जा चुके दिनों की संख्या
1.	श्री पुरुषोत्तम प्रसाद सती, कनिष्ठ सहायक	दि० 28.09.2018 से 03.11.2018 तक	37 दिन	267 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था0/ 19046 52 /01(65)/चि0अ0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 14.12.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/548 /01(67)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 13 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री सुफल सिंह कैन्पुरा, अनुसेवक	दि० 20.12.2018 से 24.12.2018 तक	05 दिन	295 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/18871-76 /01(67)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 13.12.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 538/01(31)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 12 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री दुर्गेश कुमार, वरिष्ठ सहायक	दिनांक - 14.01.2019 से 19.01.2019 तक। दिनांक 12 व 13 जनवरी, 2019 को क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार अवकाश के पूर्वनिहित एवं दिनांक 20 जनवरी, 2019 को रविवार अवकाश के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	06 दिन	192 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 18750 - 054 /01(31)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

12.12.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 537 /01(102)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 11 दिसम्बर, 2018


आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनका स्वयं का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय के धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री रमेश चन्द्र भट्ट, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 610039001037	06.10.2018 से 26.10.2018 तक	3070.00
		योग	3070.00


(रुपये तीन हजार सत्तर मात्र)


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 18747-049 /01(102)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक/ 11.12.18
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 518 /2018-19 दिनांक : 04 दिसम्बर, 2018

प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) स्वीकृति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 250/xxvii(7)/2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, श्रीमती आकांक्षा त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सेवाकाल में प्रथम बार दिनांक 26.11.2018 से 24.05.2019 तक कुल 180 दिनों के प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/2018-19 तददिनांकित्।

पृ०सं०:/लेखा-स्था०/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुमाष चन्द्र भट्ट) 04.12.18

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 517 /01(130)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 04 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अनूप चन्द्र रुडोला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 17.12.2018 से 31.12.2018 तक।	15 दिन	300 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/ 18124-29 /01(130)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 04.12.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 516 /01(103)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 04 दिसम्बर, 2018


आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनका स्वयं का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय के धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।


क0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री शीशपाल, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 030028754100	20.07.2018 से 21.09.2018 तक	53762.00
		योग	53762.00

(रूपये तिरप्पन हजार सात सौ बासठ मात्र)


(सुभाष चन्द्र मट्ट) 04.12.18
संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 18120-23 /01(103)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/५५० /01(154)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 13 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अर्जुन सिंह असवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	दि० 17.12.2018 से 31.12.2018 तक	15 दिन	300 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/18884-90 /01(154)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. विधि अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

13.12.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/535 /01(129)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक: 11 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री राजेन्द्र प्रसाद डंडरियाल, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 21.12.2018 से 10.01.2019 तक कुल 21 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री डंडरियाल के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 294 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था० /

18704-10 /01(129)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
04.12.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/५३१ /01(158)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 12 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्रीमती सुनीता रतूड़ी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 15.12.2018 से 05.01.2019 तक।	22 दिन	292 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/18755-61 /01(158)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्रीमती रेणु कुकरेती, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी की अवकाश अवधि में आप उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगी।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 12.12.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/1549 /01(37)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 13 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री सुशील कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक	दि० 10.12.2018 से 12.12.2018 तक	03 दिन	139 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/18877-83

/01(37)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. विधि अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

13.12.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/564 /01(75)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 26.12.2018 से 31.12.2018 तक कुल 06 दिनों का उपार्जित अवकाश, दिनांक 25.12.2018 को किसिमस के पूर्वनिहित राजपत्रित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री रावत के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 302 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रह जायेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा-स्था०/19341-48 /01(75)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री वी०एन० सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी की अवकाश अवधि में आप उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
4. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
20.12.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 519 /01(35)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक 04 दिसम्बर, 2018

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनके पुत्र हादी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्रों पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री नदीम दिलशाद, वरिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 020088889181	दिनांक 20.07.2018 से 01.08.2018 तक श्री दिलशाद के पुत्र हादी के चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति -	18,485.00
		दिनांक 06.08.2018 से 15.09.2018 तक श्री दिलशाद के पुत्र हादी के चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति -	21,728.00
		कुल योग	40213.00

(रूपये चालीस हजार दो सौ तेरह मात्र)

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/

/01(35)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 2 सम्बन्धित कर्मचारी।
- 3 कार्यालय गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/515 /01(151)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 04 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री हरीश चन्द्र वैष्णव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 04.12.2018 से 15.12.2018 तक।	12 दिन	300 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/ 18114-19 /01(151)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
04.12.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 496 /01(112)/कार्या०आ०/2018-19 दिनांक: 30 नवम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या/लेखा-स्था०/492/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 के द्वारा डॉ० रश्मि बडोनी, स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 27.11.2018 से 05.12.2018 तक कुल 09 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप, अवकाश अवधि में उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन श्री प्रेम शंकर टम्टा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा किया जायेगा।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ 17702-10 /01(112)/कार्या०आ०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर शिक्षा निदेशक (प्रा०शि०/मा०शि०)/गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. सं०नि०/समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारीगण।
9. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 29.11.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश सं०:लेखा-स्था० / ५१२ / उपा०अव० / 2018-19 / दिनांक:नवम्बर , 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार डा० रश्मि बडोनी, स्टाफ अफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून का दिनांक 27.11.2018 से 05.12.2018 तक कुल 09 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण औसत वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित के अवकाश लेखे में 302 दिनों का अर्जित अवकाश शेष रह जायेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं० / लेखा-स्था० / 17578-82 / उपा०अव० / 2018-19 दिनांक उक्ततिथि।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-डा० रश्मि बडोनी, स्टाफ आफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5-कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 28-11-18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/497/01(168)/चि0अ0/2018-19 दिनांक: 30 नवम्बर, 2018

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल चिकित्सा अवकाश उपभोग किये जा चुके दिनों की संख्या
1.	श्री चारुचन्द्र काण्डपाल, प्रशासनिक अधिकारी	दि० 23.10.2018 से 01.11.2018 तक	10 दिन	174 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 17711-16 /01(168)/चि0अ0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 29-11-18
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 500 /01(100)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 30 नवम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अतुल कठैत, प्रधान सहायक	दिनांक - 26.11.2018 से 01.12.2018 तक। दिनांक 25.11.2018 को रविवार के पूर्वनिहित एवं दिनांक 02.12.2018 को रविवार के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	06 दिन	239 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: / लेखा-स्था०/ 17801-06 /01(100)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 30-11-18
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 508 /01(62)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 01 दिसम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री दलबीर सिंह सोलंकी, अनुसेवक	दिनांक - 26.11.2018 से 07.12.2018 तक। दिनांक 23, 24 एवं 25 नवम्बर, 2018 को कमशः गुरुनानक जयन्ती, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस एवं रविवार के पूर्वनिहित एवं दिनांक 08 एवं 09 दिसम्बर, 2018 को कमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	12 दिन	303 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: / लेखा-स्था०/ 17975-80 /01(62)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 01.12.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 562 / 01(43) / 2018-19 दिनांक: 01 नवम्बर, 2018
दिल्ली

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 386 / 01(43) / 2018-19 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 के द्वारा, श्री अनूप कुमार दुबे, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय-प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर को दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्ययोजित किया गया था, आगामी विधानसभा सत्र माह दिसम्बर, 2018 में संचालित होने के फलस्वरूप उनकी कार्ययोजन अवधि दिनांक 31.12.2018 तक विस्तारित की जाती है इस कार्ययोजन अवधि में श्री दुबे को वेतनादि का भुगतान उनके मूल कार्यालय से ही किया जायेगा तथा कोई अतिरिक्त वेतन तथा भत्ते आदि नहीं दिये जायेंगे।

ह0/-
(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


/01(43)/2018-19 तददिनांकित।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 /

17870-78

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0 / मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. उप निदेशक / संयुक्त निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंहनगर।
7. प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. कार्यालय गार्ड फाईल।


(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
आदेश सं०:लेखा-स्था०/४९१ /उपा०अव०/2018-19/दिनांक नवम्बर , 2018
उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह, संयुक्त निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून का दिनांक 28.11.18 से 15.12.2018 तक कुल 18 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण औसत वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित के अवकाश लेखे में 297 दिनों का अर्जित अवकाश शेष रह जायेगें।

सम्बन्धित अधिकारी के अवकाश से लौटने तक उनके पद के दायित्वों का निर्वहन श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देखेगें।

ह०/-

(राकेश कुमार कुंवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/ 17572-77 /उपा०अव०/ 2018-19 दिनांक उक्ततिथि।
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5-सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6-कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
आदेश सं०:लेखा-स्था० / ५९३ / उपा०अव० / 2018-19 / दिनांक: नवम्बर , 2018
उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -2 भाग 2-4 के सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार आंकाक्षा त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून का दिनांक 16.11.2018 से 20.11.2018 तक कुल 05 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण औसत वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित के अवकाश लेखे में 27 दिनों का अर्जित अवकाश शेष रह जायेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं० / लेखा-स्था० / 17604-08 / उपा०अव० / 2018-19 दिनांक उक्ततिथि।
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-उप निदेशक (नियोजन अनुभाग) शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4-आंकाक्षा त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5-कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/481 /01(66)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 20 नवम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री सादर सिंह, अनुसेवक	दिनांक - 26.11.2018 से 05.12.2018 तक।	10 दिन	297 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(66)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/

17331-36

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ ५७६ /01(151)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : / 4 नवम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री हरीश चन्द्र वैष्णव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 29.10.2018 से 31.10.2018 तक।	03 दिन	312 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ 17140-45 /01(151)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 475 /01(139)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 14 नवम्बर, 2018


आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनका स्वयं का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय के धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 010031975	18.08.2018 से 08.09.2018 तक	21500.00
		योग	21500.00

(रुपये इक्कीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र)


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


पृ0सं0/लेखा-स्था0/

17136-39

/01(139)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक/ 12.11.18
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 460 / बोनस/2018-19 दिनांक : 02 नवम्बर, 2018

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 269/xxvii(7)(1)/2013 दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के अनुपालन में, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2017-18 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या - 11, लेखा शीर्षक - 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय अधिष्ठान, 00 निदेशालय अधिष्ठान के तहत मानक मद संख्या - 01 वेतन से वहन किया जायेगा।

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	कर्मचारी का नाम	पदनाम	स्वीकृत बोनस की धनराशि (रुपयों में)
1.	010099174	श्री चारुचन्द्र काण्डपाल	प्रशासनिक अधिकारी	6908.00
2.	010096815	श्री अम्बरीष भट्ट	वैयक्तिक सहायक	6908.00
3.	010087792	श्री अतुल कठैत	प्रधान सहायक	6908.00
4.	420077220	श्री प्रदीप भण्डारी	प्रधान सहायक	6908.00
5.	75007897	श्री लाल सिंह कार्की	प्रधान सहायक	6908.00
6.	010097079	श्री विकास जोशी	प्रधान सहायक	6908.00
7.	020088889181	श्री नदीम दिलशाद	वरिष्ठ सहायक	6908.00
8.	020088889184	श्री सुशील कुमार सिंह	वरिष्ठ सहायक	6908.00
9.	010097404	श्री विजय सिंह	वरिष्ठ सहायक	6908.00
10.	06007835742	श्री प्रदीप कुमार घिल्डियाल	वरिष्ठ सहायक	6908.00
11.	10003910	श्री दुर्गेश कुमार	वरिष्ठ सहायक	6908.00
12.	420078710	श्री सुभाष रतूडी	वरिष्ठ सहायक	6908.00
13.	010097258	तनवीर जहाँ	वरिष्ठ सहायक	6908.00
14.	010094791	रोहित रावत	वरिष्ठ सहायक	6908.00
15.	45140313F09134	आकांक्षा त्रिपाठी	कनिष्ठ सहायक	6908.00
16.	010029155	श्री विक्रम सिंह कण्डारी	कनिष्ठ सहायक	6908.00
17.	41002112375	श्री कृष्णाकांत नौटियाल	कनिष्ठ सहायक	6908.00
18.	45140313M02323	श्री विनोद पयाल	कनिष्ठ सहायक	6908.00
19.	45020313M00402	श्री रामगोपाल जगूडी	कनिष्ठ सहायक	6908.00
20.	45140313M05833	श्री पंकज कुमार सिंह	कनिष्ठ सहायक	6908.00
21.	3700222251541	श्री दीपक जोशी	कनिष्ठ सहायक	6908.00
22.	45020313M00395	श्रीमती दीपशिखा नेगी	कनिष्ठ सहायक	6908.00
23.	45020313F00338	प्रियंका बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	6908.00
24.	45140313M12247	अमित सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	3454.00
25.	010088539	श्री गोविन्द सिंह पंवार	वाहन चालक	6908.00
26.	010088901	श्री मुकेश नेगी	वाहन चालक	6908.00

कमश: अगले पेज पर

27.	010049314	श्री कन्हैया प्रसाद नौटियाल	वाहन चालक	6908.00
28.	010096327	श्री दलबीर सिंह	अनुसेवक	6908.00
29.	40007418	श्री राघवानन्द सती	अनुसेवक	6908.00
30.	010030742	श्री राकेश कुमार	स्वच्छक	6908.00
31.	010088537	श्री सुफल सिंह	अनुसेवक	6908.00
32.	010049312	श्री सादर सिंह	अनुसेवक	6908.00
33.	030028754100	श्री शीशपाल	स्वच्छक	6908.00
34.	610039001037	श्री रमेश चन्द्र भट्ट	अनुसेवक	6908.00
35.	020030815	श्री अशोक कुमार भट्ट	अनुसेवक	6908.00
36.	020088889265	श्री अशोक कुमार	दपतरी	6908.00
37.	90009005220	श्री रमेश लाल	अनुसेवक	6908.00
			योग -	2,52,142.00

(दो लाख बावन हजार एक सौ बयालिस रुपये मात्र)

dot 02.11.18
(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक /

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था० / 16534-37

/बोनस/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।

dot
संयुक्त निदेशक /
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/५५८ /०१(१४५)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक : ३० अक्टूबर, २०१८

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग २-४ के मूल नियम ८१-बी(१) एवं सहायक नियम १५७-ए(१) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
१.	श्री दीपक जोशी, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - २९.१०.२०१८ से ०३.११.२०१८ तक।	०६ दिन	१०७ दिन

ह०/-


(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ १६३५३-६ /०१(३३)/उपा०अव०/२०१८-१९ तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
२. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. सम्बन्धित कर्मचारी।
६. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट) ३०.१०.१८
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/५३९ /०१(३३)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक २५ अक्टूबर, २०१८

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग २-४ के मूल नियम ८१-बी(१) एवं सहायक नियम १५७-ए(१) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
१.	तनवीर जहां, वरिष्ठ सहायक	दिनांक - २३.१०.२०१८ से २७.१०.२०१८ तक। दिनांक २८.१०.२०१८ को रविवार उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	०५ दिन	९३ दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: / लेखा-स्था०/ १५०६७-७२ /०१(३३)/उपा०अव०/२०१८-१९ तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
२. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. सम्बन्धित कर्मचारी।
६. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
२५.१०.१८

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/438 /01(72)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक: 25 अक्टूबर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री नरवीर सिंह बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 20.10.2018 से 23.10.2018 तक कुल 04 दिनों का उपार्जित अवकाश, दिनांक 19.10.2018 को दशहरा के पूर्वनिहित एवं दिनांक 24.10.2018 को वाल्मीकि जयन्ती के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री बिष्ट के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 309 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 15854-61 /01(72)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी की अवकाश अवधि में आप उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 25.10.18
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/५३७/०१(१०८)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक: २५ अक्टूबर, २०१८

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग २-४ के मूल नियम ८१-बी(१) एवं सहायक नियम १५७-ए(१) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री संजय कुमार, विधि अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक २२.१०.२०१८ से ३०.१०.२०१८ तक कुल ०९ दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री कुमार के अर्जित अवकाश लेखे में कुल ६४ दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह०/-


(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ १५८५५५० /०१(१०८)/उपा०अव०/२०१८-१९ तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
३. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. सम्बन्धित अधिकारी।
७. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट) २५.१०.१८
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/202/01(103)/चि0अ0/2018-19 दिनांक: 20 अगस्त, 2018

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल चिकित्सा अवकाश उपभोग किये जा चुके दिनों की संख्या
1.	श्री शीशपाल, अनुसेवक	दि० 20.07.2018 से 15.08.2018 तक	27 दिन	97 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा-स्था0/ 10627-32 /01(103)/चि0अ0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 99 /01(31)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 22 मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री दुर्गेश कुमार वरिष्ठ सहायक	दिनांक - 18.06.2018 से 27.06.2018 तक। दिनांक 17.06.2018 को रविवार के पूर्वनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	10 दिन	183 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ 3657 - 62 /01(31)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०:लेखा-स्था० / ५२० / ०१(४) / का०आ० / २०१८-१९ दिनांक : १५ अक्टूबर, २०१८

कार्यालय आदेश

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (४) में अंकित नवीन कार्य/अनुभाग आवंटित किया जाता है एवं उन्हें आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब नवीन आवंटित अनुभाग में अपना योगदान देते हुये-योगदान आख्या लेखा-स्थापना अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटित अनुभाग	नवीन आवंटित अनुभाग/कार्य
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	श्री सुफल सिंह कैन्त्युरा, अनुसेवक	सूचना अनुभाग	पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग।



(सुभाष चन्द्र भट्ट) १५-१०-१८
संयुक्त निदेशक,
(लेखा-स्थापना अनुभाग)
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था० /

१५३१०-१५ / ०१(४) / का०आ० / २०१८-१९ तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
३. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रा०शि०नि०उ० दे०दून।
४. सम्बन्धित अनुभाग / कर्मचारीगण।
५. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक,
(लेखा-स्थापना अनुभाग)
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ ५११ /01(156)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : ११ अक्टूबर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री मदन सिंह बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 11.10.2018 से 25.10.2018 तक।	15 दिन	300 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/

1520-28

/01(156)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

10.10.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 408 /01(130)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 11 अक्टूबर, 2018

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनके स्वयं का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्रों पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री अनूप चन्द्र रुडोला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 39002542	दिनांक 04.07.2018 से 29.08.2018 तक स्वयं के चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति -	3,480.00
		दिनांक 13.09.2018 को स्वयं के चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति -	3,300.00
		कुल योग	6,780.00

(रूपये छः हजार सात सौ अस्सी मात्र)

(सुभाष-चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/

15109-11

/01(130)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 2 सम्बन्धित कर्मचारी।
- 3 कार्यालय गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/404/01(102)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 10 अक्टूबर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री रमेश चन्द्र भट्ट, अनुसेवक	दिनांक - 15.10.2018 से 26.10.2018 तक। दिनांक 13 व 14.10.2018 को क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार पूर्वनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	12 दिन	303 दिन


ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 15023-29 /01(102)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री नारायण सिंह, पीआरडी स्वयंसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कर्मचारी की अवकाश अवधि में आप उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
10.10.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/३४४ /01(60)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : ०६ अक्टूबर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री राघवानन्द सती, अनुसेवक	दि० 09.10.2018 से 19.10.2018 तक	11 दिन	297 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा०स्था०/

14620-25

/01(60)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/

387

/01(161)/2018-19

दिनांक: 06 सितम्बर, 2018

अ००११११

आहरण-अनुमति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या : 554/XXIV-2/2018-07(12)/2017 दिनांक 24 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री गोविन्द राम जायसवाल, प्र० उप निदेशक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 रुपये 78800-209200 ग्रेड वेतन रुपये 7600), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 9(23)(बी) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत देय वैयक्तिक वेतन अर्थात् ग्रेड वेतन का 10 प्रतिशत का लाभ दिनांक 30.05.2018 से स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप वे दिनांक 01.09.2018 से वैयक्तिक वेतन की धनराशि ग्रेड वेतन का 10 प्रतिशत अर्थात् 760.00 रुपये नकद प्राप्त कर रहे हैं तथा दिनांक 30.05.2018 से 31.08.2018 तक की अवधि के वैयक्तिक वेतन के निम्नांकित आंगणित एरियर की धनराशि रुपये 2329.00 (रुपये दो हजार तीन सौ उनत्तीस मात्र) का नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या - 11, लेखा शीर्षक - 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय अधिष्ठान, 00 निदेशालय अधिष्ठान के तहत मानक मद संख्या - 01 वेतन से वहन किया जायेगा।

वैयक्तिक वेतन के एरियर की धनराशि का आंगणन-

1. सेवा-पुस्तिका के अनुसार दिनांक 30.05.2018 को आहरित ग्रेड पे रुपये 7600.00।
 2. उक्त शासनादेशानुसार ग्रेड पे 7600.00 का 10 प्रतिशत - रुपये 760.00 प्रतिमाह।
 3. दिनांक 30.05.2018 से 31.05.2018 तक - $760 \times 02/31$ दिन = 49.00 रुपये (पूर्णांकित)
 4. दिनांक 01.06.2018 से 31.08.2018 तक - 760×03 माह = 2280.00 रुपये
- कुल योग = 2329.00 रुपये
(दो हजार तीन सौ उनत्तीस रुपये मात्र)

Dyalt
(सुभाष चन्द्र भट्ट) 05.10.18
संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।
/01(161)/2018-19 तददिनांकित।

पृ०सं०: लेखा-स्था०/

14615-19

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।

Dyalt
संयुक्त निदेशक/ 05.10.18

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 385 /01(144)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 05 अक्टूबर, 2018


आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनकी पुत्री कु0 अंजलि एवं स्वयं का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्रों पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री रमेश लाल, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारीकोड- 90009005220	दिनांक 14.07.2018 से 19.07.2018 तक पुत्री कु0 अंजलि के चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति -	2,012.00
		दिनांक 19.08.2018 से 27.08.2018 तक स्वयं के चिकित्सा उपचार पर हुये व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति -	2,938.00
		कुल योग	4,950.00

(रूपये चार हजार नौ सौ पचास मात्र)


(सुभाष चन्द्र मेट्ट)
संयुक्त निदेशक/


आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 14601-03

/01(144)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 2 सम्बन्धित कर्मचारी।
- 3 कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०:लेखा-स्था०/378 /01(4)/का०आ०/2018-19 दिनांक : 04 अक्टूबर, 2018

कार्यालय आदेश

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (4) में अंकित नवीन कार्य/अनुभाग आवंटित किया जाता है एवं उन्हें आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब नवीन आवंटित अनुभाग में अपना योगदान देते हुये योगदान आख्या लेखा-स्थापना अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटित अनुभाग	नवीन आवंटित अनुभाग/कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री दलबीर सिंह, अनुसेवक	शिक्षक सेवा अनुभाग	पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग तथा सूचना का अधिकार अनुभाग के पत्रों/डाकों को पोस्ट ऑफिस ले जायेंगे।
2.	रमेश लाल, अनुसेवक	लेखा-स्थापना	लेखा-स्थापना अनुभाग के साथ ही नियोजन तथा विविध पटल को भी देखेंगे।
3.	श्री नारायण सिंह, पीआरडी स्वयंसेवक	निदेशक/अपर निदेशक कक्ष	शिक्षक सेवा अनुभाग तथा श्री सादर सिंह एवं श्री रमेश चन्द्र भट्ट के अवकाश की स्थिति में उनके कार्यों (निदेशक महोदय के कक्ष) को भी देखेंगे।

(सुभाष चन्द्र) भट्ट 04.10.18
संयुक्त निदेशक,
(लेखा-स्थापना अनुभाग)
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था०/ 14469-73 /01(4)/का०आ०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रा०शि०नि०उ० दे०दून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/कर्मचारीगण।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र) भट्ट 04.10.18
संयुक्त निदेशक,
(लेखा-स्थापना अनुभाग)
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ ३७८ /01(150)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : ०४ अक्टूबर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अमित सिंह रावत, कनिष्ठ सहायक	दि० 15.10.2018 से 20.10.2018 तक दिनांक 13 एवं 14 को पूर्वनिहित एवं दिनांक 21.10.2018 को उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	06 दिन	33 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा०स्था०/ 14456-61 /01(150)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 04.10.18

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/४७५ /01(142)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : ०४ अक्टूबर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री कृष्णकांत नौटियाल, कनिष्ठ सहायक	दि० 05.10.2018 से 31.10.2018 तक	27 दिन	149 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा०स्था०/14449-55 /01(142)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री विनोद पयाल, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि अवकाश अवधि में आप सम्बन्धित कर्मचारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

Shakti 04.10.18
(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०:लेखा-स्था०/ 368 / 01(43)/कार्या०आदे०/2018-19 दिनांक: 29 सितम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या/लेखा-स्था०/258/01(143)/2018-19 दिनांक 07 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री अनूप कुमार दूबे, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय-प्रधानाचार्य, रा०इ०का० बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर को विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्ययोजित किया गया था, विधानसभा सत्र की समाप्ति के उपरान्त उनको आज दिनांक 29.09.2018 के अपरान्ह में उनके मूल कार्यालय हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल अपनी उपस्थिति अपने मूल कार्यालय में देना सुनिश्चित करें।

श्री दूबे की निदेशालय में कार्यरत अवधि की उपस्थिति प्रमाणित की जाती है।

ह०/-

(वी०एस० रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था०/ 14102-10 / 01(43)/कार्या०आदे०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०/मा०शि०) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंहनगर।
7. प्रधानाचार्य, रा०इ०का० बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
29.09.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/३६५ /०१(११२)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक २८ सितम्बर, २०१८

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग २-४ के मूल नियम ८१-बी(१) एवं सहायक नियम १५७-ए(१) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
१.	श्रीमती रेणु कुकरेती, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - १०.१०.२०१८ से २४.१०.२०१८ तक।	१५ दिन	३०० दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा-स्था०/ १३९७७-१४००२ /०१(११२)/उपा०अव०/२०१८-१९ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
२. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. सम्बन्धित कर्मचारी।
६. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
२७.९.१८

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ 364 /01(160)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 28 सितम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री मेहरबान सिंह भण्डारी, प्रधान सहायक	दि० 18.09.2018 से 22.09.2018 तक दिनांक 16 व 17 सितम्बर, 2018 को पूर्वनिहित एवं दिनांक 23 सितम्बर, 2018 को उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	05 दिन	291 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा०स्था०/

/01(160)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द मट्ट) 27.9.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/363 /01(67)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 28 सितम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री सुफल सिंह कैन्पुरा, अनुसेवक	दि० 22.09.2018 से 06.10.2018 तक	15 दिन	300 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा०स्था०/

13965-70

/01(67)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मर्दट) 27.9.18

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या :लेखा-स्था0 / 151 / 01(164) / बा0प्र0अ0 / 2018-19 दिनांक: 12 जून, 2018

कार्यालय आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूल नियम 9(6)(ख)(तीन) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत श्रीमती मधुबाला पुण्डीर, वरिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 22.04.2018 तक कुल 22 दिनों की समयावधि को बाध्य प्रतीक्षा अवधि मानते हुये इस अवधि का वेतन मूल नियम 20 के अनुसार आहरित किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

उक्त अवधि में श्रीमती मधुबाला पुण्डीर, को वेतन तथा मंहगाई भत्ता उसी दर से देय होगा, जिस दर से वह उन्हें कार्य पर उपस्थित होने पर देय होता। इसके अतिरिक्त श्रीमती मधुबाला पुण्डीर को अन्य भत्ते इस शर्त के साथ देय होंगे कि वे वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र, आहरण-वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगी।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 5339-50 / 01(164) / बा0प्र0अ0 / 2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सम्बन्धित कार्मिक।
12. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 12.6.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

● प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 150 / 01(163) / बा0प्र0अ0 / 2018-19 दिनांक: 12 जून, 2018

कार्यालय आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूल नियम 9(6)(ख)(तीन) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत श्री अनित कोठियाल, प्रधान सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 22.04.2018 तक कुल 22 दिनों की समयावधि को बाध्य प्रतीक्षा अवधि मानते हुये इस अवधि का वेतन मूल नियम 20 के अनुसार आहरित किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

उक्त अवधि में श्री अनित कोठियाल को वेतन तथा मंहगाई भत्ता उसी दर से देय होगा, जिस दर से वह उन्हें कार्य पर उपस्थित होने पर देय होता। इसके अतिरिक्त श्री अनित कोठियाल को अन्य भत्ते इस शर्त के साथ देय होंगे कि वे वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र, आहरण-वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 5327-38

/ 01(163) / बा0प्र0अ0 / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सम्बन्धित कार्मिक।
12. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 12.6.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/ 149 /01(129)/का0आ0/2018-19 दिनांक: 12 जून, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या/लेखा-स्था0/143/01(129)/उपा0अव0/2018-19 दिनांक 08 जून, 2018 के द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद डंडरियाल, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 11.06.2018 से 20.06.2018 तक कुल 10 दिनों का उपाजित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप, अवकाश अवधि तक श्री डंडरियाल के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा किया जायेगा।


ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: /लेखा-स्था0/ 5320-26 /01(129)/का0आ0/2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

 12.6.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0 / लेखा-स्था0 / 148 / 01(103) / चि0प्र0 / 2018-19 दिनांक: 12 जून, 2018

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679 / चि0-3-2006-437 / 2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कार्मिक को, स्वयं का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय की धनराशि के प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री शीशपाल, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 030028754100	17.02.2015 से 07.05.2018 तक	13073.00
		योग	13,073.00

(रूपये तेरह हजार तिहत्तर मात्र)

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0 / लेखा-स्था0 /

5316-19

/01(103) / चि0प्र0 / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुमाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक /

आहरण-वितरण अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

11.06.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/ 143 /01(129)/उपा0अव0/2018-19 दिनांक: 08 जून, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री राजेन्द्र प्रसाद डंडरियाल, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 11.06.2018 से 20.06.2018 तक कुल 10 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री डंडरियाल के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 306 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0:/लेखा-स्था0/

5235-41

/01(129)/उपा0अव0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 08.06.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

● प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 141 / मानदेय / 2018-19

दिनांक: 07 जून, 2018

मानदेय स्वीकृति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7 देहरादून के शासनादेश संख्या : 15/XXVII(7)/2008 दिनांक 20 मार्च, 2008, शासनादेश संख्या : 45/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014, शासनादेश संख्या : 112/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 28.08.2015 एवं शासनादेश संख्या : 122/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 02.11.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निम्नानुसार मानदेय दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आहरण मानक मद संख्या-01 वेतन के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

क्र0सं0	वाहन चालक का नाम	मूल वेतन	डी0ए0 @ 07%	योग (3+4)
1	2	3	4	5
1.	श्री गोविन्द सिंह पंवार	33900.00	2373.00	36273.00
2.	श्री कन्हैया प्रसाद नौटियाल	32900.00	2303.00	35203.00
3.	श्री मुकेश नेगी	30500.00	2135.00	32635.00
		97300.00	6811.00	104111.00

(रूपये एक लाख चार हजार एक सौ ग्यारह मात्र)

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 5187-96 / मानदेय / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 07.06.18

संयुक्त निदेशक,
आहरण/वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/ 140 /01(142)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 07 जून, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री कृष्णकांत नौटियाल, कनिष्ठ सहायक	दि० 20.06.2018 से 23.06.2018 तक दिनांक 24 जून, 2018 को रविवार उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	04 दिन	161 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा०स्था०/

5145-50

/01(142)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 06.06.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/136 /01(65)/चि0अ0/2018-19 दिनांक: 05 जून, 2018

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	कुल चिकित्सा अवकाश उपभोग किये जा चुके दिनों की संख्या
1.	श्री पुरुषोत्तम प्रसाद सती, कनिष्ठ सहायक	दि० 22.05.2018 से 26.05.2018 तक	05 दिन	208 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था0/ 4953-58 /01(65)/चि0अ0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 05.06.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/135 /01(125)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : ०४ जून, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री रामगोपाल जगूडी, कनिष्ठ सहायक	दि० 18.06.2018 से 27.06.2018 तक	10 दिन	89 दिन


ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा०स्था०/4930-35 /01(125)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुमा चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 131 /01(156)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 02 जून 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री मदन सिंह बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 11.06.2018 से 25.06.2018 तक।	15 दिन	301 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/

4799-4806

/01(156)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. श्री मदन सिंह बिष्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आपकी निर्वाचन में ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आपको निर्वाचन ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र-मदुल)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

31.5.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 130 /01(60)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 02 जून 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री राघवानन्द सती, अनुसेवक	दिनांक - 01.06.2018 से 11.06.2018 तक।	11 दिन	293 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/ 4792-98 /01(60)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री राघवानन्द सती, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आपकी निर्वाचन में ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आपको निर्वाचन ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
6. श्री नारायण सिंह, पीआरडी स्वयं सेवक, को इस निर्देश के साथ कि उक्तांकित कार्मिक की अवकाश अवधि में आप विधि अनुभाग में कार्य करेंगे।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 01.06.18
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 128 /01(151)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 31 जून, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री हरीश चन्द्र वैष्णव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 02.06.2018 से 11.06.2018 तक।	10 दिन	306 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ 4609-16 /01(151)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. श्री हरीश चन्द्र वैष्णव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आपकी निर्वाचन में ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आपको निर्वाचन ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
31.05.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 127 /01(130)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 01 जून 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अनूप चन्द्र रूडोला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 11.06.2018 से 20.06.2018 तक।	10 दिन	306 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/ 4-601-08 /01(130)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. श्री अनूप चन्द्र रूडोला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आपकी निर्वाचन में ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आपको निर्वाचन ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 31.05.18

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 118 / 01(44) / कार्य0मु0 / 2018-19 दिनांक: 29 मई, 2018

कार्यभार मुक्त आदेश

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या : सेवार्ये-3/108/2018-19 दिनांक 25 मई, 2018 के द्वारा, (कम संख्या 258 पर अंकित) श्री नीरज कुमार पांथरी, प्रधान सहायक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 रूपये 35,400-1,12,400), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 रूपये 44,900-1,42,400) के पद पर कार्यालय-प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज क्वांसी, जनपद देहरादून में होने के फलस्वरूप उनको आज दिनांक 29.05.2018 के अपरान्ह में पदोन्नत कार्यालय हेतु कार्यभार मुक्त किया जाता है।

ह0/-

(वीरेन्द्र सिंह रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 4169-82 / 01(44) / कार्य0मु0 / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उप निदेशक (सेवार्ये-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0/मा0शि0) देहरादून।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी चकराता, जनपद देहरादून।
10. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. सम्बन्धित कार्मिक।
14. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 29.5.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 117 / 01(146) / कार्य0मु0 / 2018-19 दिनांक: 29 मई, 2018

कार्यभार मुक्त आदेश

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या : सेवायें-3/108/2018-19 दिनांक 25 मई, 2018 के द्वारा, (कम संख्या 151 पर अंकित) श्री मनोज कुमार, प्रधान सहायक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 रूपये 35,400-1,12,400), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 रूपये 44,900-1,42,400) के पद पर कार्यालय-प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज सावड़ा, जनपद देहरादून में होने के फलस्वरूप उनको आज दिनांक 29.05.2018 के अपरान्ह में पदोन्नत कार्यालय हेतु कार्यभार मुक्त किया जाता है।

ह0/-

(वी0एस0 रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 /

4-158-68

/01(146) / कार्य0मु0 / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0 / मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0 / मा0शि0) देहरादून।
9. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सम्बन्धित कार्मिक।
13. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या :लेखा-स्था0/

116

/01(43)/2018-19

दिनांक: 29 मई, 2018

कार्यालय आदेश

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के बेसिक शिक्षा सेवायें अनुभाग में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत श्री अनूप कुमार दुबे, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय-प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर को दिनांक 30 जून, 2018 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्ययोजित किया जाता है।

कार्ययोजित कार्मिक को वेतनादि का भुगतान उनके मूल कार्यालय से ही किया जायेगा तथा इस कार्ययोजन के फलस्वरूप श्री दुबे को कोई अतिरिक्त वेतन तथा भत्ते आदि नहीं दिये जायेंगे।

ह0/-

(वीरेन्द्र सिंह रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(43)/2018-19 तददिनांकित्।

पृ0सं0: लेखा-स्था0/ 4-148-53

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंहनगर।
7. प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर को इस निर्देश के साथ की सम्बन्धित कार्मिक को निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें साथ ही कार्ययोजित अवधि की अंकना सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में अनिवार्य रूप से भी करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 29.5.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 115 / 01(43) / कार्य0मु0 / 2018-19 दिनांक: 29 मई, 2018

कार्यभार मुक्त आदेश

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या : सेवायें-3/108/2018-19 दिनांक 25 मई, 2018 के द्वारा, (क्रम संख्या 211 पर अंकित) श्री अनूप कुमार दूबे, प्रधान सहायक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 रुपये 35,400-1,12,400), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 रुपये 44,900-1,42,400) के पद पर कार्यालय-प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर में होने के फलस्वरूप उनको आज दिनांक 29.05.2018 के अपरान्ह में पदोन्नत कार्यालय हेतु कार्यभार मुक्त किया जाता है।

ह0/-
(वीरेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 4135-47 / 01(43) / कार्य0मु0 / 2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधमसिंहनगर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0/मा0शि0) ऊधमसिंहनगर।
9. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सम्बन्धित कार्मिक।
13. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 29.5.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या :लेखा-स्था0 / 114 / 01(39)/कार्य0मु0/2018-19 दिनांक: 29 मई, 2018

कार्यभार मुक्त आदेश

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या : सेवार्ये-3/108/2018-19 दिनांक 25 मई, 2018 के द्वारा, (कम संख्या 36 पर अंकित) श्री नरेन्द्र सिंह रावत, प्रधान सहायक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 रूपये 35,400-1,12,400), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 रूपये 44,900-1,42,400) के पद पर कार्यालय-प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज बर्नीगाड़, जनपद उत्तरकाशी में होने के फलस्वरूप उनको आज दिनांक 29.05.2018 के अपरान्ह में पदोन्नत कार्यालय हेतु कार्यभार मुक्त किया जाता है।

ह0/-

(वीरेन्द्र सिंह रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 4118-30 / 01(39)/कार्य0मु0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उप निदेशक (सेवार्ये-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0/मा0शि0) उत्तरकाशी।
9. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सम्बन्धित कार्मिक।
13. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 29.5.18

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 113 /01(57)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 29 मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री मुकेश नेगी, वाहन चालक	दिनांक - 28.05.2018 से 07.06.2018 तक।	11 दिन	174 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/ 4043-4100 /01(57)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. श्री मुकेश नेगी, वाहन चालक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आपकी निर्वाचन में ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आपको निर्वाचन ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 29.5.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 111 /01(139)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 28 मई, 2018

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कार्मिक को, स्वयं का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय की धनराशि के प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क0 सं0	कार्मिक का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, प्रभारी संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 010031975	31.03.2018 से 20.04.2018 तक	3,659.00
		योग	3,659.00

(रूपये तीन हजार छः सौ उनसठ मात्र)

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(139)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 4040-43

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 28.5.18
संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 105 /01(101)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 24 मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अशोक भट्ट, अनुसेवक	दिनांक - 04.06.2018 से 14.06.2018 तक।	11 दिन	262 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: / लेखा-स्था०/ 3810-16

/01(101)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री रमेश लाल, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त अवकाश अवधि में आप उक्तांकित कर्मचारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
6. श्री अशोक भट्ट, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आपकी निर्वाचन में ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 23.05.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ ४९ /01(132)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 18 मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री लाल सिंह कार्की प्रधान सहायक	दिनांक - 09.05.2018 से 31.05.2018 तक।	23 दिन	267 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(132)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ 3277-82
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

FORMAT

Experience Certificate

Logo of Office
(If available)

Name of Deptt./Office : प्राथमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
 Address of Deptt./Office : ननुरखेडा, देहरादून।
 Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust : _____
 Registration No. of Company/Firm/Society/Institution/Trust : _____
 Telephone No. : 0135-2781828
 Website : www.school.education.uk.gov.in

Dated : 14.05.2018

Ref. No. - 3135

सुशील कुमार सिंह

शतर सिंह

This is to certify that Shri /Smt /Ken..... Son /Daughter /wife of Shri..... is an employee of this Department/Organization/Company/Firm /Society/Institution/Trust and duties performed by him/her during the period(s) are as under :

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration /Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch/other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
कनिष्ठ सहायक	15.12.2008	09.10.2014	05 वर्ष 09 माह 26 दिन	Permanent- Regular	Administration	लेवेल-05 मूल वेतन	Official work	देहरादून	N.A.
वरिष्ठ सहायक	10.10.14	अविरत	03 वर्ष 07 माह 05 दिन	Permanent- Regular	Administration	31000		देहरादून	

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date : 14/5/2018
Place : देहरादून

Name & Signature of Candidate :

सुशील कुमार सिंह
(सुशील कुमार सिंह)
वरिष्ठ सहायक

Sign
(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal
सयुक्त निदेशक
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.


verified from service-book -
14.05.2018
sv. AKSH.

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 83 /01(166)/2018-19 दिनांक: 14 मई, 2018

कार्यालय आदेश

दिनांक 14 मई, 2018 से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान का ऑडिट प्रस्तावित है, ऑडिट वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, एवं 2017-18 का होना है, वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में निदेशालय अधिष्ठान के आहरण-वितरण का कार्य श्री गोपाल लाल द्वारा किया गया है। अतः श्री गोपाल लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हाल कार्यरत कार्यालय-रा०बा०इ०का० ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार को आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 15 मई, 2018 से 26 मई, 2018 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में अपनी उपस्थिति देते हुये ऑडिट में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(166)/2018-19 तददिनांकित।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ 3114-20

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) हरिद्वार।
4. स्टाफ ऑफिसर/शिविर सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रधानाचार्या, रा०बा०इ०का० ज्वालापुर, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कर्मचारी को अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/

४०

/01(166)/2018-19

दिनांक: 11 मई, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 338/XXIV-2/2018-01(06)/2015 दिनांक 11 मई, 2018 के अनुसार मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित अवमानना वाद संख्या-61/2017 में मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम-5(छः) के प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/उप खण्ड शिक्षा अधिकारी से उप शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु प्रेषित अधियाचन प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में चयन समिति की दिनांक 14.05.2018 को पूर्वान्ह 11.30 बजे आहूत बैठक में प्रतिभाग करने हेतु श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह, प्रभारी संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकृत किया जाता है एवं उन्हें आदेशित किया जाता है कि आप निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में अभिलेखों सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(166)/2018-19

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ ३०७६-०४५

तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-सचिव, उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, देहरादून।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. श्री अम्बरीष भट्ट, आशुलिपिक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्तांकित अधिकारी के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित अधिकारी।
10. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

प्रभारी संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

11.5.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/74 /01(62)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 09 मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री दलवीर सिंह सोलंकी, अनुसेवक	दिनांक - 25.05.2018 से 08.06.2018 तक।	15 दिन	301 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ 2886-91 /01(62)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री रमेश लाल, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि अवकाश अवधि में सम्बन्धित कर्मचारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन आपके द्वारा किया जायेगा।
6. श्री दलवीर सिंह सोलंकी, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आपकी चुनाव में ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/१३ /01(109)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : ०९ मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्रीमती आकांक्षा त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - 14.05.2018 से 19.05.2018 तक।	06 दिन	14 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पु०सं०:/ लेखा-स्था०/ 2880-85 /01(109)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 9.5.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 72 /01(33)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 09 मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	कु० तनवीर जहां, वरिष्ठ सहायक	दिनांक - 17.05.2018 से 17.06.2018 तक।	32 दिन	83 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/ 2859-64 /01(33)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
09.05.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 68 /01(166)/2018-19 दिनांक: 08 मई, 2018

कार्यालय आदेश

श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, अनुसेवक, रा०इ०का० रानीपोखरी, देहरादून को आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 08 मई, 2018 से 08 जून, 2018 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेंगे।


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(166)/2018-19 तददिनांकित।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/2743-47

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर/शिविर सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रधानाचार्य, रा०इ०का० रानीपोखरी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कर्मचारी को अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित कर्मचारी।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 65 /01(158)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 28 मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्रीमती सुनीता रतूड़ी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 24.05.2018 से 08.06.2018 तक। दिनांक 09 व 10 जून, 2018 को क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	16 दिन	29 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: / लेखा-स्था०/ 2671-77 /01(158)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री नरेन्द्र सिंह रावत, प्रधान सहायक (सूचना अनुभाग), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि अवकाश अवधि में सम्बन्धित अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन आपके द्वारा किया जायेगा।
6. श्रीमती सुनीता रतूड़ी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (सूचना अनुभाग), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आपके अनुभाग से कार्मिकों की चुनाव में ड्यूटी लगने पर आपको कार्य पर वापस आना होगा तथा उक्तांकित स्वीकृत अवकाश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 07.05.18

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 64 /01(39)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 08 मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री नरेन्द्र सिंह रावत, प्रधान सहायक	दिनांक - 12.06.2018 से 26.06.2018 तक।	15 दिन	301 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ 2664-70 /01(39)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्रीमती सुनीता रतूड़ी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (सूचना अनुभाग), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि अवकाश अवधि में सम्बन्धित कर्मचारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन आपके द्वारा किया जायेगा।
6. श्री नरेन्द्र सिंह रावत, प्रधान सहायक (सूचना अनुभाग), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि आपकी चुनाव में ड्यूटी लगने पर उक्तांकित स्वीकृत उपार्जित अवकाश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 07.05.18
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 60 /01(66)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 03 मई, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री सादर सिंह, अनुसेवक	दिनांक - 07.05.2018 से 16.05.2018 तक।	10 दिन	292 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/ लेखा-स्था०/ 2267-70 /01(66)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 03.05.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 56 / 01(164) / कार्य0ग्र0 / 2018-19 दिनांक: 01 मई, 2018

कार्यभार ग्रहण आदेश

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या : सेवायें-3/37/2018-19 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के द्वारा, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून से प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप श्रीमती मधुबाला पुण्डीर, वरिष्ठ सहायक वेतन मैट्रिक्स लेवल-05 (रूपये 29200-92300) की तैनाती प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 (रूपये 35400-112400) पद के प्रति किये जाने के फलस्वरूप, श्रीमती पुण्डीर द्वारा निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 23.04.2018 के पूर्वान्ह में नवीन तैनाती पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। श्रीमती पुण्डीर को उनके मूल पद वरिष्ठ सहायक का ही वेतन अनुमन्य होगा।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)


निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 2167-77 / 01(164) / कार्य0ग्र0 / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सम्बन्धित कार्मिक।
11. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 51 /01(157)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 28 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्रीमती रेणु कुकरेती, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	दिनांक - 14.05.2018 से 26.05.2018 तक। दिनांक 13 व 27 मई, 2018 को रविवार के कमशः पूर्वनिहित एवं उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	13 दिन	300 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(157)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 2102-08

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री अतुल कठैत, प्रधान सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि अवकाश अवधि में आप सम्बन्धित अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
5. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 28.4.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ ५१ /०१(६८)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक : २५ अप्रैल, २०१८

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग २-४ के मूल नियम ८१-बी(१) एवं सहायक नियम १५७-ए(१) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
१.	श्री राकेश कुमार, स्वच्छक	दिनांक - १६.०४.२०१८ से २१.०४.२०१८ तक।	०६ दिन	३१० दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/

१८३०-३५

/०१(६८)/उपा०अव०/२०१८-१९ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
२. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. सम्बन्धित कर्मचारी।
६. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/48 /01(108)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक: 25 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री संजय कुमार, विधि अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 23.04.2018 से 02.05.2018 तक कुल 10 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री कुमार के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 58 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू०सं०:/लेखा-स्था०/

1823-29

/01(108)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्टे) 25.04.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 47 /01(141)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 25 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री अशोक कुमार, दफ्तरी	दिनांक - 23.04.2018 से 10.05.2018 तक।	18 दिन	298 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/ 1817-22 /01(141)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री अशोक कुमार, दफ्तरी को इस निर्देश के साथ कि स्थानीय निकाय चुनाव में ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 25.04.18

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 46 /01(148)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 25 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	कु० प्रियंका बिष्ट, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - 02.04.2018 से 06.04.2018 तक।	05 दिन	105 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 1790-95 /01(148)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 25.04.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 44 / 01(163) / कार्य0ग्र0 / 2018-19 दिनांक: 25 अप्रैल, 2018

कार्यभार ग्रहण आदेश

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या : सेवायें-3/36/2018-19 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के द्वारा, राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून से प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप श्री अनित कोठियाल, प्रधान सहायक वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 (रूपये 35400-112400) की तैनाती प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में प्रशासनिक अधिकारी वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 (रूपये 44900-142400) पद के प्रति किये जाने के फलस्वरूप, श्री कोठियाल द्वारा निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 23.04.2018 के पूर्वान्द में नवीन तैनाती पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। श्री कोठियाल को उनके मूल पद प्रधान सहायक का ही वेतन अनुमन्य होगा।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 1769-79 / 01(163) / कार्य0ग्र0 / 2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सम्बन्धित कार्मिक।
11. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुमाष चन्द्र मट्ट) 24.04.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 43 /01(37)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 25 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री सुशील कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक	दिनांक - 21.04.2018 से 11.05.2018 तक।	21 दिन	175 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 1763-68 /01(37)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री सुशील कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक को इस निर्देश के साथ कि स्थानीय निकाय चुनाव में ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 24.4.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/३५ /01(146)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 17 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री मनोज कुमार, प्रधान सहायक	दिनांक - 16.04.2018 से 23.04.2018 तक।	08 दिन	308 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 1132-38 /01(146)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. कु० तनवीर जहां, वरिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि अवकाश अवधि में सम्बन्धित के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन आपके द्वारा किया जायेगा।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 17.4.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश संख्या/लेखा-स्था0 / १ / /01(117)/उपा0अव0/2018-19 दिनांक: 13 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 23.04.2018 से 05.05.2018 तक कुल 13 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री सिंह के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 303 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।


ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: /लेखा-स्था0 / 997 - 1003 /01(117)/उपा0अव0/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह, संयुक्त निदेशक को इस आशय के साथ कि स्थानीय निकाय चुनाव में आपकी ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
12.4.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/१० /०१(४)/कार्या०आदे०/२०१८-१९ दिनांक: १३ अप्रैल, २०१८

कार्यालय आदेश

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों के मध्य अनुभाग/कार्यों का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-


क्र० सं०	अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	आवंटित अनुभाग/कार्य	अभ्युक्ति
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह, संयुक्त निदेशक	पूर्व में आवंटित कार्य यथावत्।	निदेशालय का आ०सं० - ५९५ दि. ०५.१२.२०१७ एवं आ०सं० - ४०७ दि. ०३.१२.२०१६
२.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक	वर्तमान कार्य एवं दायित्वों के साथ-साथ अकादमिक अनुभाग के कार्य एवं दायित्व।	निदेशालय का आ०सं० - ५९५ दि. ०५.१२.२०१७ एवं आ०सं० - ४०७ दि. ०३.१२.२०१६
३.	श्री गोविन्द राम जायसवाल, उप निदेशक	शासनादेशानुसार माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित Court Cases (न्यायालय) का कार्य एवं आयोगों से सम्बन्धित कार्य।	शा०सं० - ९६/ XXIV-२/ २०१८-१९ (०१)/ २०१७ दिनांक २० मार्च, २०१८


(राकेश कुमार कुँवर) २०१८
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:लेखा-स्था०/१८५-१३ /०१(४)/कार्या०आदे०/२०१८-१९ तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. स्टाफ ऑफिसर/शिविर सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. विधि अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. मु०प्र०अ०/व०प्र०अ०, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
७. समस्त अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
८. सम्बन्धित अधिकारीगण।
९. कार्यालय गार्ड फाईल।


निदेशक, ०४.२०१८
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 28 /01(39)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 12 अप्रैल, 2018

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनकी माताजी श्रीमती गायत्री देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय की धनराशि के प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशान तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री नरेन्द्र सिंह रावत, प्रधान सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड-010030119	08.11.2017 से 20.01.2018 तक	32,136.00
		योग	32,136.00

(रूपये बत्तीस हजार एक सौ छत्तीस मात्र)

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/

927-30

/01(39)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कर्मचारी।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 27 /01(64)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 12 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री विक्रम सिंह कण्डारी, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - 16.04.2018 से 30.04.2018 तक।	15 दिन	299 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा-स्था०/ 921-26 /01(64)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मद्दट) 12.4.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 25 /01(143)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 12 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री विनोद पयाल, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - 16.04.2018 से 05.05.2018 तक। दिनांक 14 व 15 अप्रैल, 2018 को क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के पूर्वनिहित अवकाश एवं दिनांक 06 मई, 2018 को रविवार के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित।	20 दिन	126 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 829-34 /01(143)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 12.4.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 24 /01(144)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 12 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री रमेश लाल, अनुसेवक	दिनांक - 17.04.2018 से 20.04.2018 तक।	04 दिन	185 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(144)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 823-28
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुमाष चन्द्र मट्ट) 12.4.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0 / 19 / 01(162) / कार्य0ग्र0 / 2018-19 दिनांक: 11 अप्रैल, 2018

कार्यभार ग्रहण आदेश

मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के विज्ञप्ति/समायोजन आदेश संख्या : सेवा0अराज0 / 209 / 3ख(4) / समायोजन / 2017-18 दिनांक 29 मार्च, 2018 के द्वारा (क्रम संख्या-12 पर अंकित) श्री रोहित रावत, वरिष्ठ सहायक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-05 रूपये 29,200-92,300), रा0इं0कॉ0 बड़ोवाला जॉली, देहरादून को उसी पद एवं वेतनक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में समायोजित करते हुये उपलब्ध रिक्त पद के प्रति पदस्थापित किये जाने के फलस्वरूप, श्री रोहित द्वारा निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 02.04.2018 के अपरान्ह में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 728 - 38 / 01(162) / कार्य0ग्र0 / 2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रधानाचार्य, रा0इं0कॉ0 बड़ोवाला जॉली, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सम्बन्धित कार्मिक।
11. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 11.4.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०:लेखा-स्था०/

17

/01(138)/2018-19

दिनांक: 10 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या/लेखा-स्था०/14/01(138)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के द्वारा डॉ० रश्मि बडोनी, स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 16.04.2018 से 05.05.2018 तक कुल 20 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप, श्री प्रेम शंकर टम्टा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को आदेशित किया जाता है कि अवकाश अवधि में आप अपने वर्तमान कार्य एवं दायित्वों के साथ-साथ उक्तांकित अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे एवं इस कार्य हेतु आपको कोई अतिरिक्त वेतन अथवा भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था०/ 672-77

/01(138)/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिकारीगण।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/14 /01(138)/उपा0अव0/2018-19 दिनांक: 09 अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, डॉ० रश्मि बडोनी, स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 16.04.2018 से 05.05.2018 तक कुल 20 दिनों का उपार्जित अवकाश, दिनांक 14 व 15 अप्रैल, 2018 को क्रमशः द्वितीय शनिवार व रविवार के पूर्वनिहित अवकाश एवं दिनांक 06 मई, 2018 को रविवार के उत्तरनिहित अवकाश उपभोग की अनुमति सहित पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त उक्तांकित अधिकारी के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 296 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू०सं०: /लेखा-स्था0/ 542-48 /01(138)/उपा0अव0/2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 9.4.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/०७ /01(103)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक ०३ अप्रैल, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री शीशपाल, अनुसेवक	दिनांक - 22.03.2018 से 22.03.2018 तक।	01 दिन	309 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/

10-11

/01(103)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट)
03.4.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या/लेखा-स्था०/325/01(139)/कार्या०आ०/2018-19 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के द्वारा, श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के उपार्जित अवकाश में होने के फलस्वरूप, श्री वी०एन० सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को आहरण-वितरण अधिकारी कोड संख्या - 4514 के दायित्वों के निर्वहन के लिये अधिकृत किया गया था, श्री भट्ट के अवकाश उपभोग के उपरान्त निदेशालय में योगदान देने के फलस्वरूप उक्त आदेश में संशोधन करते हुये प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के अधिष्ठान तथा तत्सम्बन्धी आहरण-वितरण के लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियम-47(G) के अन्तर्गत, श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को आहरण-वितरण अधिकारी कोड संख्या - 4514 के दायित्वों के निर्वहन के लिये अधिकृत किया जाता है।

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट द्वारा उक्त कोड से अनुदान संख्या : 11 के लेखा-शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 03-निदेशालय अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के आहरण एवं वितरण का कार्य सम्पादित किया जायेगा।



(राकेश कुमार कुंवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।




पृ०सं०:/लेखा-स्था०/ 13502-23 /01(139)/कार्या०आ०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, देहरादून।
7. अपर निदेशक (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अपर निदेशक (प्रा०शि०/मा०शि०), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
9. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
11. जनस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
14. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला कोषागार, देहरादून।


15. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा) उत्तराखण्ड।
17. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/समस्त अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
19. शाखा प्रबन्धक, एस0बी0आई0/पी0एन0बी0/इलाहाबाद बैंक, देहरादून
20. सीनियर पोस्ट मास्टर, मुख्य डाकघर, (जी0पी0ओ0) देहरादून/सब पोस्ट ऑफिस, रायपुर/डालनवाला, देहरादून।
21. सम्बन्धित अधिकारीगण।
22. कार्यालय गार्ड फाईल।


24.09.18
(राकेश कुमार कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक के नमूना हस्ताक्षर निम्नवत् प्रमाणित किये जाते हैं:-

1. 
2. 
3. 

उक्तांकित हस्ताक्षर प्रमाणित


24.09.18
(राकेश कुमार कुंवर)
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 349 /01(64)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 22 सितम्बर, 2018

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनकी पत्नी श्रीमती मीरा देवी का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय के धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री विक्रम सिंह कण्डारी, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड-010029155	04.08.2018 से 28.08.2018 तक	50931.00
		योग	50931.00

(रुपये पचास हजार नौ सौ इकत्तीस रुपये मात्र)

AMIE
22/09/2018

(वी0एन0 सिंह)

संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/

13478-81

/01(64)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कर्मचारी।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

AMIE
22/09/2018

संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 344 /01(101)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 19 सितम्बर, 2018

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनकी पत्नी श्रीमती संगीता का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय के धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री अशोक कुमार भट्ट, अनुसेवक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड-020030815	24.03.2018 से 11.08.2018 तक	1772.00
		योग	1772.00

(रुपये एक हजार सात सौ बहत्तर रुपये मात्र)

Alme E
(वी0एन0 सिंह) 19/09/2018
संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 13121-24 /01(101)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कर्मचारी।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

Alme E
19/09/2018
संयुक्त निदेशक/
आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 343/01(57)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 19 सितम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री मुकेश नेगी, वाहन चालक	दिनांक - 22.09.2018 से 30.09.2018 तक।	09 दिन	180 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/

13093-100

/01(57)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

Alme
19/9/2018

(वी०एन० सिंह)

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0/ 338 /01(168)/कार्य0ग्र0/2018-19 दिनांक: 13 सितम्बर, 2018

कार्यभार ग्रहण आदेश

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या : सेवायें-3/108/2018-19 दिनांक 25 मई, 2018 एवं पदोन्नति संशोधन आदेश संख्या : सेवायें-3/323/2018-19 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के द्वारा (क्रम संख्या-17 पर अंकित) श्री चारुचन्द्र काण्डपाल, प्रधान सहायक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 रुपये 35,400-1,12,400), कार्यालय प्रधानाचार्य, रा0इ0कॉ0 घिमतोली, जनपद रुद्रप्रयाग की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 रुपये 44,900-1,42,400) के पद पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में होने के फलस्वरूप, श्री काण्डपाल द्वारा दिनांक 12.09.2018 के पूर्वान्ह में पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

ह0/-

(वी0एस0 रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0/ 12694-706 /01(168)/कार्य0ग्र0/2018-19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0/प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग।
7. प्रधानाचार्य, रा0इ0कॉ0 घिमतोली, रुद्रप्रयाग।
8. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सेवायें-03 अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सम्बन्धित कार्मिक।
13. कार्यालय गार्ड फाईल।

13.09.2018

(वी0एन0 सिंह)

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०:लेखा-स्था०/ 337 /01(4)/का०आ०/2018-19 दिनांक : 13 सितम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (4) में अंकित नवीन अनुभाग आवंटित किया जाता है एवं उन्हें आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब नवीन आवंटित अनुभाग में अपना योगदान देते हुये योगदान आख्या लेखा-स्थापना अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटित अनुभाग	नवीन आवंटित अनुभाग	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	श्री चारुचन्द्र काण्डपाल, प्रशासनिक अधिकारी	-	नियोजन एवं अकादमिक अनुभाग	निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 12.09.2018 को कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप।
2.	श्री मेहरबान सिंह भण्डारी, प्रधान सहायक	नियोजन एवं अकादमिक अनुभाग	विधि अनुभाग	निदेशालय के आदेश संख्या : मु०प्र०आ०/750 /2017-18 दिनांक 09 फरवरी, 2018 को संशोधित करते हुये।

alif
13.09.018

(वी०एन० सिंह)

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था०/ 12672-76 /01(167)/का०आ०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रा०शि०नि०उ० दे०दून।
4. सम्बन्धित अनुभाग / कर्मचारीगण।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।

alif
13.09.018

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
पत्रांक/लेखा-स्था0/12597 /01(31)/2018-19 दिनांक 12 सितम्बर, 2018

सेवा में,

स्पीड पोस्ट

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी,
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,
12 न्यू रोड, अरोमा होटल बिल्डिंग,
(नियर एम0के0पी0 इण्टर कॉलेज),
देहरादून।


पत्रांक/लेखा-स्था0/ /01(31)/2018-19 दिनांक: सितम्बर, 2018

विषय: Confirmation of Identity Certificate (NOC) issued in respect of Shri DURGESH KUMAR.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके File No: DD1072808955818 Letter Ref. No: NOC/312171450/18 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के क्रम में अवगत कराना है कि श्री दुर्गेश कुमार, वरिष्ठ सहायक को ANNEXURE 'G' NO-OBJECTION CERTIFICATE NO. 11644 Dated 31-08-2018 इस कार्यालय द्वारा निर्गत किये जाने की पुष्टि की जाती है।

भवदीय,


(वी0एस0 रावत)
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/331 /01(65)/उपा0अव0/2018-19 दिनांक : 12 सितम्बर, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री पुरुषोत्तम प्रसाद सती, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - 18.08.2018 से 21.08.2018 तक।	04 दिन	258 दिन

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था0/12542-47 /01(65)/उपा0अव0/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

Alm E
12/09/2018

(वी०एन० सिंह)

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 330 /01(158)/2018-19 दिनांक: 12 सितम्बर, 2018

बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनु०-7 देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 11/xxvii(7)34/2011 दिनांक 30 मई, 2011 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, श्रीमती सुनीता रतूड़ी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को कैलेण्डर वर्ष 2018 में द्वितीय बार दिनांक 11.09.2018 से 25.09.2018 तक कुल 15 दिनों के बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त उनके अवकाश लेखे में कुल 99 दिनों के बाल्य देखभाल अवकाशों के उपभोग हो जायेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/01(158)/2017-18 तददिनांकित्।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/

12534-41

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. श्रीमती रेणु कुकरेती, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्तांकित अधिकारी की अवकाश अवधि में आप उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगी।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

12/09/2018

(वी०एन० सिंह)

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


● प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 325 /01(139)/कार्या०आ०/2018-19 दिनांक: 10 सितम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या/लेखा-स्था०/796/01(139)/कार्या०आ०/2017-18 दिनांक 07 मार्च, 2018 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के अधिष्ठान तथा तत्सम्बन्धी आहरण-वितरण के लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियम-47(G) के अन्तर्गत, श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को आहरण-वितरण अधिकारी कोड संख्या - 4514 के दायित्वों के निर्वहन के लिये अधिकृत किया गया था, का दिनांक 10.09.2018 से 22.09.2018 तक कुल 13 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप, श्री वी०एन० सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को आहरण-वितरण अधिकारी कोड संख्या - 4514 के दायित्वों के निर्वहन के लिये अधिकृत किया जाता है।

श्री वी०एन० सिंह द्वारा उक्त कोड से अनुदान संख्या : 11 के लेखा-शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 03-निदेशालय अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के आहरण एवं वितरण का कार्य सम्पादित किया जायेगा।


(राकेश कुमार कुँवर) 18
निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा-स्था०/ 12277-98 /01(139)/कार्या०आ०/2018-19 तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, देहरादून।
7. अपर निदेशक (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अपर निदेशक (प्रा०शि०/मा०शि०), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
9. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
11. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
14. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला कोषागार, देहरादून।

क्रमशः पेज-2 पर


15. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा) उत्तराखण्ड।
17. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/समस्त अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
19. शाखा प्रबन्धक, एस0बी0आई0/पी0एन0बी0/इलाहाबाद बैंक, देहरादून
20. सीनियर पोस्ट मास्टर, मुख्य डाकघर, (जी0पी0ओ0) देहरादून/सब पोस्ट ऑफिस, रायपुर/डालनवाला, देहरादून।
21. सम्बन्धित अधिकारीगण।
22. कार्यालय गार्ड फाईल।


(राकेश कुमार कुंवर)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

श्री वी0एन0 सिंह, संयुक्त निदेशक के नमूना हस्ताक्षर निम्नवत् प्रमाणित किये जाते हैं:-

1. alme
2. alme.
3. alme.

उक्तांकित हस्ताक्षर प्रमाणित


(राकेश कुमार कुंवर)
निदेशक

ANNEXURE 'G'

OFFICE OF THE DIRECTORATE OF ELEMENTARY EDUCATION
UTTARAKHAND

No. 11644 Dated 31.08.2018



अपर निर्देशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननुरखेडा, देहरादून

NO-OBJECTION CERTIFICATE

Shri DURGESH KUMAR S/o Shri SHIV SHANKAR PRASAD who is an Indian National, is employed in this office as SENIOR ASSISTANT from 28-01-2013 till date. This Department/Office has no objection to his obtaining a passport.

(V.S. RAWAT)
Additional Director
अपर निर्देशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननुरखेडा, देहरादून

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/302 /01(35)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक 29 अगस्त, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री नदीम दिलशाद, वरिष्ठ सहायक	दिनांक - 07.08.2018 से 09.08.2018 तक।	03 दिन	280 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/

11381-86

/01(35)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 29.8.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/301 /01(139)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक: 29 अगस्त, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री सुभाष चन्द्र भट्ट, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 10.09.2018 से 22.09.2018 तक कुल 13 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री भट्ट के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 302 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


पृ०सं०: /लेखा-स्था०/

11371-80

/01(139)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अवकाश अवधि में प्रभारी के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री वी०एन० सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून उक्तांकित अवकाश अवधि में सम्बन्धित अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
4. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सम्बन्धित अधिकारी।
10. कार्यालय गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र भट्ट) 29.8.18

संयुक्त निदेशक (लेखा-स्थापना),
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/285/01(72)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक: १1 अगस्त, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री नरवीर सिंह बिष्ट, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 20.08.2018 से 21.08.2018 तक कुल 02 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री बिष्ट के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 313 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा-स्था०/ 10767-74 /01(72)/उपा०अव०/2018-19 तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी की अवकाश अवधि में आप उनके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 21.8.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 286 /01(64)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 21 अगस्त, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री विक्रम सिंह कण्डारी, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - 11.08.2018 से 22.08.2018 तक।	12 दिन	297 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था०/ 10775-80 /01(64)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०:लेखा-स्था० / 281 / 01(167) / का०आ० / 2018-19

दिनांक : 20 अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 10.08.2018 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप प्रधान सहायक, श्री विकास जोशी को लेखा-स्थापना अनुभाग आवंटित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब आवंटित अनुभाग में योगदान देने के साथ ही कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।


(सुभाष चन्द्र मट्ट)
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


पृ०सं०: लेखा-स्था० /

16623-26

/01(167) / का०आ० / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रा०शि०नि०उ० दे०दून।
3. सम्बन्धित कर्मचारी।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : लेखा-स्था0/277 /01(167)/कार्य0ग्र0/2018-19 दिनांक: 16 अगस्त, 2018

कार्यभार ग्रहण आदेश

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के विज्ञप्ति/समायोजन आदेश संख्या : सेवायें-3/255/2018-19 दिनांक 02 अगस्त, 2018 के द्वारा (क्रम संख्या - 35 पर अंकित) श्री विकास जोशी, प्रधान सहायक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 रूपये 35,400-1,12,400), कार्यालय-प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज टिमली, देहरादून को प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में उसी पद एवं वेतनमान में समायोजित करते हुये रिक्त पद के प्रति पदस्थापित किये जाने के फलस्वरूप, श्री विकास जोशी द्वारा निदेशालय अधिष्ठान में दिनांक 10.08.2018 के पूर्वान्ह में प्रधान सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0/ 10479-89 /01(167)/कार्य0ग्र0/2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रधानाचार्य, रा0इ0कॉ0 टिमली, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सम्बन्धित कार्मिक।
11. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

14-8-18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/२७५ /०१(१०९)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक : १३ अगस्त, २०१८

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग २-४ के मूल नियम ८१-बी(१) एवं सहायक नियम १५७-ए(१) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
१.	श्रीमती आकांक्षा त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - १३.०८.२०१८ से २५.०८.२०१८ तक।	१३ दिन	३२ दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

/०१(१०९)/उपा०अव०/२०१८-१९ तददिनांकित।

पृ०सं०/ लेखा-स्था०/

१०३७६-८१

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
२. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. सम्बन्धित कर्मचारी।
६. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/272 /01(160)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 13 अगस्त, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री मेहरबान सिंह भण्डारी, प्रधान सहायक	दि० 02.08.2018 से 06.08.2018 तक	05 दिन	296 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:/लेखा०स्था०/ 10362-67 /01(160)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 10.8.18

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश संख्या/लेखा-स्था0/ 270 /01(65)/उपा0अव0/2018-19 दिनांक : 13 अगस्त, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री पुरुषोत्तम प्रसाद सती, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - 05.07.2018 से 26.07.2018 तक।	22 दिन	262 दिन

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: /लेखा-स्था0/

10346-51

/01(65)/उपा0अव0/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

(लेखा-स्थापना अनुभाग)

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

10.8.18

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ **257** /01(64)/उपा०अव०/2018-19 दिनांक : 06 अगस्त, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
1.	श्री विक्रम सिंह कण्डारी, कनिष्ठ सहायक	दिनांक - 06.08.2018 से 10.08.2018 तक।	05 दिन	309 दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा-स्था०/ **9066-71**

/01(64)/उपा०अव०/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) **06.08.18**
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/ ~~214~~ /01(9)/स्क्री०कमे०/2018-19 दिनांक: 16 जुलाई, 2018

215

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनु०-07 देहरादून के शासनादेश संख्या : 872/xxvii(7)/न०प्रति०/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 के अनुसार वित्तीय स्तरान्णयन (ए०सी०पी०) की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. अध्यक्ष – अपर निदेशक (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सदस्य – संयुक्त निदेशक (लेखा-स्थापना अनुभाग), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सदस्य – वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा तथा वित्तीय स्तरान्णयन (ए०सी०पी०) का लाभ, सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:लेखा-स्था०/ 7422-38 /01(9)/स्क्री०कमे०/2018-19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित उक्त अधिकारीगण।
4. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 16.7.18

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/२१० /०१(१६२)/कार्या०आदे०/२०१८-१९ दिनांक: १३ जुलाई, २०१८

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या/लेखा-स्था०/२०५/०१(३७)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक १० जुलाई, २०१८ के द्वारा श्री सुशील कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक (विधि अनुभाग) का दिनांक ०९.०७.२०१८ से २५.०८.२०१८ तक कुल ४८ दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप, अवकाश अवधि तक श्री सुशील के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन श्री रोहित रावत, वरिष्ठ सहायक (सेवायें-०३ अनुभाग) द्वारा किया जायेगा।

अतः श्री रोहित को आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब अपना योगदान विधि अनुभाग में देते हुये योगदान आख्या लेखा-स्थापना अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

रिक्त पदों पर निदेशालय में कार्मिकों की उपलब्धता के पश्चात् पुनः कार्मिकों का आवंटन सम्बन्धित अनुभागों में किया जायेगा।

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०:लेखा-स्था०/ ७२८५-८८

/०१(१६२)/कार्या०आदे०/२०१८-१९ तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (विधि/सेवायें-०३ अनुभाग), प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सम्बन्धित कर्मचारी।
५. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आ0सं0/लेखा-स्था0/ 208 /01(75)/चि0प्र0/2018-19 दिनांक: 11 जुलाई, 2018

आहरण-अनुमति आदेश

शासनादेश संख्या : 679/चि0-3-2006-437/2002 दिनांक 04 सितम्बर, 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, निदेशालय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारी को, उनके पुत्र आदित्य रावत का प्रदेश के भीतर कराये गये उपचार पर हुये चिकित्सा व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति के आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति प्रमुख अधीक्षक, दून चिकित्सालय, देहरादून द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर किये गये प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त प्रदान की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202 सामान्य शिक्षा, 01 प्रारम्भिक शिक्षा, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 निदेशालय का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद संख्या - 27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के नामे डाला जायेगा।

क0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	बिल की तिथि	बिल की धनराशि जिसके आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।
01.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून। कर्मचारी कोड- 010086867	09.06.2018 (कुल एक दिन)	4600.00
		योग	4600.00

(रुपये चार हजार छः सौ मात्र)

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/लेखा-स्था0/ 3149-52 /01(75)/चि0प्र0/2018-19 तददिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. सम्बन्धित कर्मचारी।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट) 11.07.18

संयुक्त निदेशक/

आहरण-वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०/लेखा-स्था०/ 163 /01 (147) /2018-19 दिनांक 20 जून, 2018

बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृति आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनु०-7 देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 11/XXVII (7)34/2011 दिनांक 30 मई, 2011 में निहित प्रवधानों के अन्तर्गत, श्रीमती दीपशिखा नेगी, कनिष्ठ सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को कैलेण्डर वर्ष 2018 में द्वितीय बार दिनांक 21 जून, 2018 से 10 जुलाई, 2018 तक कुल 20 दिनों के बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त उनके अवकाश लेखे में कुल 179 दिनों के बाल्य देखभाल अवकाशों के उपभोग हो जायेंगे।

ह०/-

(वी०एस० रावत)

अपर निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृष्ठ०सं०/लेखा-स्था०/ 5786-92 /01 (147) 2018-19 तददिनांकित।
प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि अपरिहार्य परिस्थितियों में या आवश्यकता पड़ने पर स्वीकृत अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश सं०/लेखा०स्था०/२०५ /०१(३७)/उपा०अव०/२०१८-१९ दिनांक : १० जुलाई, २०१८

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग २-४ के मूल नियम ८१-बी(१) एवं सहायक नियम १५७-ए(१) में निहित प्रावधानों के अनुसार, निम्नांकित तालिका में अंकित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	कुल दिन	शेष अवकाश
१.	श्री सुशील कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक	दि० ०९.०७.२०१८ से २५.०८.२०१८ तक	४८ दिन	१४२ दिन

ह०/-

(राकेश कुमार कुँवर)

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/लेखा०स्था०/

७०८०-३६

/०१(३७)/उपा०अव०/२०१८-१९ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
२. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. सम्बन्धित अनुभाग/नियंत्रक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. विधि अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. सम्बन्धित कर्मचारी।
७. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट)

संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

10.7.18


प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या :लेखा-स्था0 / 183 /01(43)/2018-19

दिनांक: 30 जून, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशालय में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत श्री अनूप कुमार दुबे, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय-प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर को दिनांक 02 जुलाई, 2018 से 31 जुलाई, 2018 तक की अवधि हेतु प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्ययोजित किया जाता है। कार्ययोजित कार्मिक को वेतनादि का भुगतान उनके मूल कार्यालय से ही किया जायेगा तथा इस कार्ययोजन के फलस्वरूप श्री दुबे को कोई अतिरिक्त वेतन तथा भत्ते आदि नहीं दिये जायेंगे।


(वीरेन्द्र सिंह रावत)
अपर निदेशक,


प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: लेखा-स्था0 / 6281-088

/01(43)/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. उप निदेशक (सेवायें-03 अनुभाग) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा), ऊधमसिंहनगर।
7. प्रधानाचार्य, रा0इं0का0 बग्घा, जनपद ऊधमसिंहनगर।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. कार्यालय गार्ड फाईल।


अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश सं०:लेखा-स्था०/ 182 /कार्या०आदे०/2018-19 दिनांक: 30 जून, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या/लेखा-स्था०/153/01(166)/2018-19 दिनांक 12 जून, 2018 के द्वारा श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, अनुसेवक, रा०इ०का० रानीपोखरी, देहरादून को दिनांक 30.06.2018 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में कार्य किये जाने हेतु आदेशित किया गया था कार्य समाप्ति के उपरान्त उनको आज दिनांक 30.06.2018 के अपरान्ह में उनके मूल कार्यालय हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल अपनी उपस्थिति अपने मूल कार्यालय में देना सुनिश्चित करें।

dat
(सुभाष चन्द्र मट्ट) 30.6.18
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०: लेखा-स्था०/ 6272-075 /कार्या०आदे०/2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर/शिविर सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रधानाचार्य, रा०इ०का० रानीपोखरी, देहरादून।
4. सम्बन्धित कर्मचारी।
5. ✓ कार्यालय गार्ड फाईल।

dat
संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून
आदेश संख्या/लेखा-स्था0/ 154 /01(117)/उपा0अव0/2018-19 दिनांक: 12 जून, 2018

उपार्जित अवकाश स्वीकृति आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 81-बी(1) एवं सहायक नियम 157-ए(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का दिनांक 19.06.2018 से 21.06.2018 तक कुल 03 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री सिंह के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 300 दिनों के अर्जित अवकाश शेष रहेंगे।

ह0/-

(राकेश कुमार कुँवर)
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: /लेखा-स्था0/ 5382-88 /01(117)/उपा0अव0/2018-19 तददिनांकित्।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. आहरण-वितरण अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह, संयुक्त निदेशक को इस आशय के साथ कि स्थानीय निकाय चुनाव में आपकी ड्यूटी लगने पर उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. सम्बन्धित अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. कार्यालय गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र मट्ट) 12-06-18
संयुक्त निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश सं०/लेखा-स्था०/


153

/01(166)/2018-19

दिनांक: 12 जून, 2018

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या - लेखा-स्था०/68/01(166)/2018-19 दिनांक 08 मई, 2018 के द्वारा श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, अनुसेवक, रा०इ०का० रानीपोखरी, देहरादून को दिनांक 08.06.2018 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य किये जाने हेतु आदेशित किया गया था उक्त कार्यावधि दिनांक 30.06.2018 तक विस्तारित की जाती है।


(सुभाष चन्द्र मेट्ट)

संयुक्त निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।


पृ०सं०:/लेखा-स्था०/

5377-81

/01(166)/2018-19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. स्टाफ ऑफिसर/शिविर सहायक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रधानाचार्य, रा०इ०का० रानीपोखरी, देहरादून।
4. सम्बन्धित कर्मचारी।
5. कार्यालय गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक, 12.6.18

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।